

सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन

भाग-3

कक्षा-8



(राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार द्वारा विकसित)
बिहार स्टेट टेक्स्टबुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना

Developed by:  www.absol.in

**निदेशक (प्राथमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा
स्वीकृत ।**

राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार, पटना के सौजन्य से सम्पूर्ण
बिहार राज्य के निमित्त ।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत
पाठ्य-पुस्तकों का निःशुल्क वितरण ।
क्रय-विक्रय दण्डनीय अपराध ।

© बिहार स्टेट टेक्स्टबुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना

सर्व शिक्षा अभियान : 2015-16 - 19,90,732

बिहार स्टेट टेक्स्टबुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, बुद्ध मार्ग, पटना - 800 001 द्वारा
प्रकाशित तथा **क्लिक डीजिटल, इलाहीबाग, पटना** द्वारा एच॰पी॰सी॰ के 70
जी॰एस॰एम॰, क्रीम बोध टेक्स्ट पेपर (वाटर मार्क) तथा एच॰पी॰सी॰ के 130 जी॰एस॰एम॰
हार्डट (वाटर मार्क) आवरण पेपर पर कुल **19,90,732** प्रतियाँ 24x18 से॰मी॰ साईज में
मुद्रित।

प्राक्कथन

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के निर्णयानुसार अप्रैल, 2009 से प्रथम चरण में राज्य के कक्षा IX हेतु नए पाठ्यक्रम को लागू किया गया। इस क्रम में शैक्षिक सत्र 2010-11 के लिए वर्ग I, III, VI एवं X की सभी भाषायें एवं गैर भाषायें पाठ्य पुस्तकें नए पाठ्यक्रम के अनुरूप लागू की गयीं। इस नए पाठ्यक्रम के आलोक में एन0सी0ई0आर0टी0, नई दिल्ली द्वारा विकसित वर्ग X की गणित एवं विज्ञान तथा एन0सी0ई0आर0टी0, बिहार, पटना द्वारा विकसित वर्ग I, III, VI एवं X की सभी अन्य भाषायें एवं गैर भाषायें पुस्तकें बिहार राज्य पाठ्य-पुस्तक निगम द्वारा आवरण चित्रण कर नुदित की गयीं। इस सिलसिले की कड़ी को अगे बढ़ाते हुए शैक्षिक सत्र 2011-12 के लिए वर्ग-II, IV एवं VII तथा शैक्षिक सत्र 2012-13 के लिए वर्ग V एवं VIII की नई नट्य पुस्तकें बिहार राज्य के छत्र/छात्राओं के लिए उपलब्ध करायी गयीं। साथ-ही-साथ वर्ग I से VIII तक की पुस्तकों का नया परिमार्जित रूप शैक्षिक सत्र 2013-14 से एन0सी0ई0आर0टी0, बिहार, पटना के सौजन्य से प्रस्तुत किया गया।

बिहार राज्य में विद्यालयीय शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, श्री जगतन राम मंझरे, शिक्षा मंत्री, श्री वृशिण पटेल एवं शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, श्री आर. के. महाजन के मार्ग दर्शन के प्रति हम हृदय से कृतज्ञ हैं।

एन0सी0ई0आर0टी0, नई दिल्ली तथा एन0सी0ई0आर0टी0, बिहार, पटना के निदेशक के भी हम आभारी हैं जिन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया।

बिहार राज्य नट्य-पुस्तक प्रकाशन निगम छात्रों, अभिभवकों, शिक्षकों, शिक्षाविदों की टिप्पणियों एवं सुझावों का सदैव स्वागत करेगा, जिससे बिहार राज्य को देश के शिक्षा जगत में उच्चतन स्थान दिलाने में हनाग प्रयास सहायक सिद्ध हो सके।

दिलीप कुपार, आई. ए. एस.

प्रबन्ध निदेशक

बिहार राज्य पाठ्य-पुस्तक प्रकाशन निगम लि०

मिशन मानव विकास

शिक्षा का उद्देश्य कितनी शैक्षिक ज्ञान के साथ बच्चे/छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास करना है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, महाप्रतिष्ठित अतिपिछड़ा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष महत्त्व से है हमारे समाज के परिपेक्ष में पूर्ण मानव विकास सम्भव है। हमारे विद्यालय इस सामाजिक परिवर्तन परियोजना का केन्द्र बनेंगे तथा बच्चे परिवर्तन के सिपाही। प्रस्तुत: विद्यालय को ज्ञान, कौशल और जीवन की शिक्षा के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन का केन्द्र बनाकर 'मिशन मानव विकास' सफल होगा।

अतः मिशन मानव विकास में निम्नलिखित संकेत पर पर ध्यान देना तक पहुँचाना आवश्यक है।

1. बच्चे नियमित रूप से विद्यालय में जीवन की शिक्षा हासिल करें।
2. लड़कियों को नारंगी 18 वर्ष से कम उम्र में नहीं को जाए। किशोरी बालिकाओं में विशेष रूप से खून की कमी दूर की जाए।
3. नई पंचदे स्वास्थ्य गारण्टी कार्यक्रम के अर्धीन 0-14 वर्ष के सभी बालक तथा 0-18 वर्ष के सभी बालिकाओं को नियमित जात्रिक स्वास्थ्य परीक्षण एवं उन्चार सुनिश्चन की जाए।
4. हर गाँव/दोल गृहशाल नरती में स्वच्छता अभियान चलाये जाय। कूड़ा और मन्दी दूर गयाय जाय। शूले में शौच की जगह पर पर उपयोगी शौचालय निर्माण हो।
5. स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता से ही बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है।
6. सभी नवजात शिशु को जन्म लेते गाँव का दुध दिया जाय तथा छः महीने तक केवल गाँव का दुध ही दिया जाय। इससे कुपोषण में कमी आवेगी।
7. बच्चों की जीनारियों का उपचार सरलता से और ससमय उपलब्ध हो।
8. आँगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से विशेष रूप से 0-3 वर्ष के बच्चों का नियमित जन्म, कैम्पाई इत्यादि लेने की व्यवस्था हो।
9. महाप्रतिष्ठित, अल्पसंख्यक तथा अतिपिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए साधरता कार्यक्रम विद्यालय परिसर में संचालित हो।
10. बच्चों द्वारा पर पर सर्वेक्षण करा कर तावकु सेवन और परिश्रम में कमी लायी जाए।
11. पौधा लगाने तथा पर्यावरण संतुलन बनये रखने के लिए बच्चों के माध्यम से सामाजिक सेवा घर घर तक पहुँचाये।
12. बच्चों के नियमित खेल कूद, योग, ग्यान जैसे क्रियाओं को प्रोत्साहित किया जाए।
13. बालिकाओं को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए तथा हर ग्राम पंचायत में ऐसे शिक्षण की व्यवस्था हो।
14. हुनर और कौशल विकास के साथ साथ महिला समत समूहों के माध्यम से विकास हो।

विद्यालय को मिशन मानव विकास का केन्द्र बिन्दु बनने हेतु विद्यालय में मिशन मानव विकास कॉर्नर स्थापित किया जाए। इसमें बच्चों द्वारा मनव विकास की प्राथमिकताओं को दर्शाने हेतु डिपिन मास्क, तथा पोस्टर, चित्र, माडल निर्माण आदि का उपयोग हो। अन्तर विद्यालय प्रातिवांगिता कर श्रेष्ठ मिशन मानव विकास कॉर्नर को सुसज्जित करने की व्यवस्था भी की जाए।

दिशाबोध-सह-पाठ्यपुस्तक विकास समन्वय समिति

- श्री राहुल सिंह, राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना
- श्री रामशरणागत सिंह, संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार
- श्री अभित कुमार, सहायक निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, बिहार
- श्री हसन गरिस, निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी., पटना
- श्री मधुसूदन पासवान, कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना
- डॉ. एस.ए. मुईन, विभागाध्यक्ष एस.सी.ई.आर.टी., पटना
- डॉ. ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी, प्राचार्य मैत्रेय कॉलेज ऑफ एजुकेशन एण्ड मैनेजमेंट, हाजीपुर

पाठ्यपुस्तक विकास समिति

लेखक सदस्य:

- श्रीमती सुनिका प्रसाद, व्याख्याता, पी.टी. ई.सी. बाढ़, पटना।
- श्री विजय कुमार सिंह, शिक्षक, एफ.एन. एस. एकेडमी, पटना।
- श्री कात्यायन कुमार त्रिपाठी, शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय चैलीटाल, गुलज़ारबाग, पटना।
- श्री ओमप्रकाश, शिक्षक, धनेश्वरी देवनन्दन कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, दानापुर, पटना।
- श्रीमती नाहिदा प्रवीण, शिक्षिका, उत्कर्मित मध्य विद्यालय, खतरी, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर।
- श्री आशीष कुमार, शिक्षक, उच्च विद्यालय बीर ओईयारा, पटना।
- श्री त्रिपुरारी कुमार, शिक्षक, मध्य विद्यालय बड़का डुमरा, आरा मुफस्सिल, भोजपुर।
- श्री आफताब आसम, शिक्षक, मध्य विद्यालय सारंगपुर, भोजपुर।
- श्री विकास कुमार राय, शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय श्रीकान्तपुर, राजपुर, बक्सर।
- श्री प्रवीण कुमार, शिक्षक, मध्य विद्यालय खोनहा, सत्तरकटैया, सहरसा।

विषय विशेषज्ञ:

- श्री जगरबिन्द सस्ताना एकलव्य, शैक्षिक शोध एवं नवाचार संस्थान (म.प्र.)
- सुश्री दिशा नवानी, टी.आई.एस. एस., मुम्बई
- श्री राममूर्ति, हिन्दी हेडमास्टर, शा. हाईस्कूल करकुर, तहसील डेरा बसई- 2 जिला एस.ए.एस. नगर पंजाब

चित्रांकन एवं डिज़ाइन:

- सुश्री दोस्की जैन, एकलव्य, भोपाल
- सुश्री इन्दु श्रीकुमार, एकलव्य, भोपाल

समन्वयक:

- डॉ. सीता राय, व्याख्याता, एस.सी.ई. आर.टी. बिहार, पटना

समीक्षक:

- डॉ. परमानन्द सिंह, शिक्षक, स्टूडेंट साइंटिफिक हाई स्कूल, पटना
- डॉ. विनय कुमार सिंह, एसोसिएट एम.डी. कॉलेज, पुनपुन, पटना

आमार : यूनिसेफ, विज्ञान, अर्थशास्त्र विभाग, एस.

एम.डी. कॉलेज, पुनपुन, पटना

आमुख

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा- 2005 में दिये गये निर्देशों एवं बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2008 के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत पुस्तक-सामाजिक आर्थिक एवं राजनितिक जीवन भाग-3 विकसित की गई है। पुस्तक दिये गये पाठ्यक्रम के अनुरूप चरणबद्ध कार्यशालाएं आयोजित करके विभिन्न शिक्षकों, विषय-विशेषज्ञों एवं साधनसेवियों की देख-रेख में तैयार की गई है। पुस्तक निर्माण के क्रम में यह ध्यान रखा गया है कि बच्चों में खोजी प्रवृत्ति तथा मुद्दों को समझने की क्षमता और कौशलों का विकास हो। साथ ही साथ उनमें तथ्यों की अवधारणात्मक समझ विकसित हो। पुस्तक में यह प्रयास किया गया है कि पूर्व की कक्षाओं की विविधता, समानता जैसी अवधारणाओं के आधार पर आठवें वर्ग में सामाजिक न्याय की पहलुओं पर समझ बनाई जा सके। लोकतंत्र के इन आधारों की विवेचना करते वक्त यह भी ध्यान में रखा गया है कि भारत की सामाजिक संरचना में लोकतंत्र के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पहलुओं में किस प्रकार सामंजस्य बनता है। इसे भी उभारा जाए। सामाजिक न्याय के बिन्दुओं के इर्द-गिर्द लोकतांत्रिक संस्थाएं किस प्रकार समाज की अपेक्षाओं को पूरी करती हैं, इस पर भी चर्चा हो। जहां एक ओर सहकारिता के माध्यम से सामाजिक सहयोग की बात बतायी गयी है वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा दी गयी खाद्य सुरक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय की प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला गया है। पुस्तक में प्रयास किया गया है कि सभी इकाई रोचक हों तथा बच्चों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जुड़े प्रतीत हों। पुस्तक लेखन में यह शैली पुस्तक अध्ययन के प्रति बच्चों को उन्मुख और जिज्ञासु बनाने की एक कोशिश है। बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सामाजिक मुद्दों को समझने का विकास करना भी पुस्तक का अभीष्ट लक्ष्य है।

पुस्तक में यह भी प्रयास किया गया है कि उपयुक्त स्थानों पर अभ्यास और गतिविधियों का भरपूर समावेश हो। बॉक्स में सुसंगत और सटीक बिन्दुओं पर प्रश्न और जिज्ञासा द्वारा अनुप्रयोगों के विकास की भी कोशिश की गयी है।

इस पाठ्यपुस्तक को तैयार करने में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् एवं यूनिसेफ का सराहनीय योगदान रहा है। पाठ्यपुस्तक की पांडुलिपि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार, पटना के संकाय सदस्यों, विषय विशेषज्ञों, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, दिल्ली के साधनसेवियों, विद्या भवन सोसाइटी उदयपुर एवं एकलव्य, भोपाल के साथ गहन विचार विमर्श कर बना है। पुस्तक के लेखकगण, विषय-विशेषज्ञ, समन्वयक, समीक्षक, चित्रकार, डिज़ाइनर एवं एस.सी.ई.आर.टी. का अध्यापक शिक्षा विभाग विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं जिनके अथक प्रयत्न के फलस्वरूप पुस्तक इस स्वरूप में उभरकर आ सकी है।

अन्त में सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं शिक्षाविदों से आग्रह है कि

इसन वारिस

निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. बिहार, पटना

विषय सूची

क्र संख्या संख्या	अध्याय का शीर्षक	पृष्ठ
1.	भारतीय संविधान	1
2.	धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार 15	
3.	संसदीय सरकार (लोग व उनके प्रतिनिधि) 27	
4.	कानून की समझ	38
5.	न्यायपालिका 48	
6.	न्यायिक प्रक्रिया	57
7.	सहकारिता	68

‘पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार’ बिहार पृथ्वी दिवस (9 अगस्त) के अवसर पर 11 सूत्री संकल्प ।

मैं संकल्प लेता / लेती हूँ कि

1. पृथ्वी के संरक्षण तथा पर्यावरण संतुलन को बनाये रखने के लिए सदैव कर्तव्य करूँगा ।
2. वर्ष में कम से कम एक नौधा अवश्य लगऊँगा. इसे बचाऊँगा तथा मेड़ पौधों के संरक्षण में सहयोग करूँगा ।
3. तालाब, नदी एवं पोखर आदि को प्रदूषित नहीं करूँगा ।
4. जल का दुरुपयोग नहीं होने दूँगा एवं इस्तेमाल के तुरंत बाद सवधि नीपूरवक नल को बंद करूँगा ।
5. बिजली का अनावश्यक उपयोग नहीं करूँगा तथा आवश्यकता नहीं रहने पर बिजली के बल्ब, पंख एवं अन्य उपकरणों का बंद करूँगा ।
6. कूड़ा-कचरा को निर्धारित स्थानों पर रखे डिस्टिबिंग में डालूँगा तथा अन्य लोगों से भी इसके लिए अनुरोध करूँगा
7. अपने घर तथा स्कूल को साफ रखूँगा ।
8. प्लास्टिक / पॉलीथीन का उपयोग बंद कर इसके स्थान पर जपट्टे या कागज के बने झोनों थैलों का उपयोग करूँगा
9. पर्यटकों के प्रति दया का भाव रखूँगा ।
10. नवदीक के कार्यों के लिए साइकिल का उपयोग करूँगा अथवा पैदल जाऊँगा ।
11. आवश्यकतानुसार कागज का उपयोग करूँगा तथा इसका दुरुपयोग नहीं होने दूँगा ।

भारतीय संविधान


संविधान क्या और क्यों

क्या आपने कभी अपने विद्यालय के बारे में सोचा है? आप शायद यही सोच रहे होंगे कि भला इसमें सोचने वाली क्या बात है, विद्यालय में हम पढ़ने के लिए आते हैं, इसमें एक प्रधान अध्यापक एवं कई अध्यापक-अध्यापिकाएँ होते हैं जो अलग-अलग विषय पढ़ाते हैं। ये बातें जो शायद आपको साधारण सी लगती हों, परंतु उतनी साधारण हैं नहीं, क्योंकि किसी भी विद्यालय को सुनिश्चित तरीके से चलाने के लिए कुछ कायदे-कानून होते हैं, जैसे बच्चों के विद्यालय में नामांकन के लिए एक निश्चित उम्र और समय का होना, हर एक कक्षा का एक निश्चित पाठ्यक्रम होना, प्रत्येक विषय के लिये योग्य शिक्षक/शिक्षिकाओं का होना तथा एक प्रधान शिक्षक का होना जिस पर पूरे विद्यालय को सुचारु रूप से चलाने की जिम्मेदारी होती है।

विद्यालय के जिन नियमों की तरफ हमने आपका ध्यान दिलाया, ये भी कुछ बुनियादी कानूनों पर आधारित होते हैं। इन बुनियादी कानूनों को ध्यान में रखकर ही अन्य नियम और कानून बनाये जाते हैं। जैसे – शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, एक बुनियादी कानून है जिसके आधार पर विद्यालयों के बारे में कई नियम बनाए गए हैं। जैसे, 6-14 वर्ष के लड़के/लड़कियों को किसी भी विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता. प्रत्येक 3 कि.मी. के दायरे में कक्षा 8 तक की

1. आप अपने विद्यालय में जिन नियमों का पालन करते हैं उनकी एक सूची तैयार कीजिए।
2. आपकी शिक्षिका विद्यालय में किन नियमों का पालन करती हैं उनसे चर्चा कीजिए और सूची तैयार कीजिए।
3. ज़रा सोच के बताइए कि आपके विद्यालय के प्रधान अध्यापक को विद्यालय चलाने के लिए किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा।

अब सोचने वाली बात यह है कि जैसे एक विद्यालय को चलाने के लिए इतने सारे नियमों की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह देश को चलाने के लिए भी कुछ मूलभूत नियमों की आवश्यकता पड़ती है, जिसका पालन उस देश में रह रहे नागरिकों और सरकार दोनों को ही करना पड़ता है। इन नियमों का समूह ही संविधान कहलाता है।



पढ़ाई हेतु सरकारी स्कूल का होना आवश्यक है, कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में छात्र : शिक्षक का अनुपात 30:1 होना चाहिए।

भारतीय संविधान अँग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लंबे संघर्ष एवं अन्य देशों के संविधानों के अनुभवों का नतीजा है। यह भिन्न समूहों, जातियों एवं अलग-अलग क्षेत्र के ज्ञानी एवं अनुभवी लोगों की सोच का परिणाम है।

भारतीय संविधान केवल यह नहीं बताता है, कि देश की शासन व्यवस्था क्या होगी बल्कि यह भी दर्शाता है कि हम किस तरह के समाज का निर्माण करना चाहते हैं, उस समाज में किन आदर्शों की रक्षा की जानी चाहिए, समाज में रहने वाले लोगों को कौन-कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए, उनके क्या-क्या कर्तव्य होने चाहिए। साथ ही सबसे अहम बात है कि उन अधिकारों की रक्षा कैसे की जानी चाहिए, जिससे सभी का भला हो।

अब कल्पना कीजिए कि आप नहरवाल नामक इलाके में रहते हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ पर रहने वाले सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से रहें और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग करें। यदि उनमें आपसी मतभेद हो तो उसका हल किसी निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से निकाला जा सके, उनके झगड़ों के हल करने का कोई खास तरीका हो और सभी लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार काम मिले

1. दिए गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आप नहरवाल इलाके के लिए कौन से कानून बनाएंगे ?
2. यह तो हो गई कानून बनाने की बात, अब यह तय कैसे करेंगे कि इन कानूनों को कैसे लागू किया जाये?




ऊपर दी गई चित्रकथा के आधार पर आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर

1. सरला बहन ने मुन्नी को काम पर क्यों नहीं जाने दिया?
2. अपने घर के बुजुर्गों से चर्चा कीजिए कि क्या उन्होंने कभी ऐसी घटना देखी है?

और हर काम के लिए उचित मेहनताना मिले।

यदि आप सभी को ऊपर दी गई परिस्थितियों के अनुसार दिए गए इलाके के लिए कुछ मूलभूत नियम बनाने का कार्य दिया जाये तो अगले पृष्ठ में दी गई बातों को आप कैसे तय करेंगे?


जिस तरह एक छोटे से इलाके के विकास एवं खुशहाली के लिए नियमों की आवश्यकता पड़ती है उसी तरह देश को चलाने के लिए भी नियमों की आवश्यकता पड़ती है जो संविधान के रूप में हर देश में अपनाया जाता है। संविधान में नागरिकों के अधिकारों व कर्तव्यों का वर्णन किया जाता है व यह भी बताया जाता है कि अगर नागरिकों के किसी अधिकार का हनन हो तो उस परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए।



नीचे दी गई घटनाओं को ध्यान से पढ़ें। शिक्षिका की मदद से यह पता लगायें कि इन घटनाओं के शिकार लोगों की भारतीय संविधान कैसे मदद करता है?

घटनाएँ :

1. दहेज के लिए विवाहिता को जला देना।
2. 10 वर्ष के बच्चे को चाय की दुकान में काम कराना।
3. बिना कोई कारण बताये 24 घण्टे से अधिक किसी नागरिक को पुलिस चौकी में बन्द रखना।
4. किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर जाने के लिये जाति, लिंग या धर्म के नाम पर रोकना।
5. सरकार द्वारा किसानों की ज़मीन को बिना उचित मुआवज़ा दिए जब्त कर लेना।



1. संविधान किसे कहते हैं?
2. बुनियादी नियम क्या होते हैं?
3. किसी भी स्वास्थ्य केन्द्र से पता लगाइए कि सरकार द्वारा लोगों को कौन-कौन सी बुनियादी सुविधाएँ दी जाती है।
4. अपने विद्यालय में दी जाने वाली सरकारी सुविधाओं की एक सूची बनाइए।

संविधान केवल नियमों एवं कानूनों का संग्रह ही नहीं है जो समाज के राजनैतिक पहलू को बताता है, बल्कि यह लोगों के दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को भी कहीं न कहीं प्रभावित करता है। संविधान, सरकार को जनहित में कार्य करने की दिशा देता है, जिससे सभी लोगों का, खास तौर से समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों का विकास हो सके, जैसे अनुसूचित जाति और जन जातियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना, वृद्ध पेंशन योजना, इत्यादि।

भारतीय संविधान का ऐतिहासिक सन्दर्भ

अध्याय के पिछले भाग में हमने पढ़ा कि संविधान क्या है और उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। अध्याय के इस भाग में हम संविधान निर्माण के ऐतिहासिक सन्दर्भ को समझने की कोशिश करेंगे। हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि वे कौन-कौन सी ऐतिहासिक घटनाएँ हैं जिन्होंने भारत के संविधान को एक खास रूप देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

किसी भी संविधान के स्वरूप को समझने के लिए यह जानना ज़रूरी है कि उसका निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ। वह प्रभावशाली है या नहीं? उस देश में रहनेवाले लोगों के ऐतिहासिक, सामाजिक,



संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए
पं. जवाहरलाल नेहरू

आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों को उसमें शामिल किया गया है या नहीं? उस देश के विभिन्न वर्गों व समाजों के हितों को ध्यान में रखा है या नहीं? सबसे अहम मुद्दा है कि संविधान बना कैसे? और उसे बनाने की प्रक्रिया में उस देश के सभी वर्गों के लोग शामिल हो पाये थे या नहीं?

सन् 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के बाद आने वाले कुछ वर्षों में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और देश के कई अन्य संगठन संवैधानिक सुधारों और कानून बनाने वाली संस्थाओं में भारतीयों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल करने की मांग करने लगे। कांग्रेस के नेता अँग्रेजी सरकार की भारत के बारे में बनायी जा रही नीतियों की आलोचना करते हुए आमतौर पर यह सवाल उठाते थे कि अँग्रेज सरकार ने जो अधिकार अपने देश इंग्लैण्ड के नागरिकों को दिए हैं, वे



जलियाँवाला बाग हत्याकांड



अँग्रेजों द्वारा भारतीय किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर करना

1. ऊपर दिए गए चित्रों को देख कर आपकी अँग्रेजी शासन पद्धति के बारे में क्या सोच बनती है?
2. क्या आपको लगता है कि अँग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों के अधिकारों का हनन किया

4. अगर हमारा देश आज़ाद रहता तो क्या इस तरह लोगों को उनकी इच्छाओं के विरुद्ध मजबूर किया जाता?
5. यदि उस समय भारत आज़ाद होता और उसका अपना संविधान होता, तो क्या इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता था?

अधिकार भारत के नागरिकों को क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। जैसे मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, अपनी इच्छानुसार व्यवसाय करने का अधिकार आदि।

भारत के लोगों की शुरुआती मांगों में मुख्य रूप से यह बात शामिल थी कि भारत के लिए कानून बनाने वाली संस्था जैसे नेशनल असेम्बली आदि में भारतीय प्रतिनिधियों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल किया जाये। असेम्बली में बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाये एवं भारत के न्यायाधीशों को यूरोप में तथा अन्य देशों तक इंग्लैण्ड के नागरिकों के खिलाफ मुकदमे सुनने का अधिकार दिया जाए। इसी बीच घटी अन्य घटनाओं ने भी संविधान की मांग को प्रभावित किया।

1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लोगों द्वारा अपना संविधान खुद बनाने की स्पष्ट मांग रखी। सन् 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के आठ अन्य

1. भारत के संविधान को बनाने के लिए कांग्रेस ने सबसे स्पष्ट मांग कब पेश की?
2. अँग्रेज़ सरकार भारत के लोगों की स्वतंत्र संविधान सभा की मांग को क्यों नहीं मानना चाहती थी?

कुछ जानने योग्य बातें

- भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे एवं उसकी प्रारूप समिति (ड्राफ्टिंग कमेटी) के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अम्बेडकर थे।
- संविधान सभा चुने गए जनप्रतिनिधियों की सभा है जो संविधान लिखने का कार्य

- भारतीय संविधान सभा ने 9 जनवरी 1946 को संविधान बनाने का कार्य शुरू किया।
- 26 नवम्बर 1949 को संविधान लिखने का कार्य पूरा किया गया।
- 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया।

भारत का संविधान उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंचनिस्पेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को :
सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की **स्वतंत्रता**, प्रतिष्ठा और अवसर की **समता** प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली **बंधुता** बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी **इस संविधान सभा में** आज, तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. (भिति मार्ग-शीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को

नेताओं ने भारत के संविधान की एक नई रूपरेखा तैयार की। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय संविधान की रूपरेखा से सम्बंधित प्रस्ताव पेश किया गया। इन दोनों प्रस्तावों में कुछ बुनियादी मूल्यों का समावेश किया गया था। जैसे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, संसदीय एवं उत्तरदायी सरकार एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा।

1934 में एक स्वतंत्र संविधान सभा की मांग की गयी जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और तेज़ हो गयी। अंततः दिसम्बर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया जिसके अन्तरिम अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा थे और उनकी अध्यक्षता में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष बनाये गये।

1. किसी भी देश के संविधान में आम तौर पर किस तरह के मूल्यों को शामिल किया जाता है?

ये दोनों विभूतियाँ बिहार के निवासी थे।

संविधान के बुनियादी मूल्य

किसी भी देश के संविधान के उन मूल्यों को बुनियादी मूल्य कहा जाता है, जो उस देश के समाज के आदर्श रहे हों और लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने में सहायक हों। भारत के संविधान के निर्माण के समय भी ऐसे आदर्शों को संविधान के मूल्यों के रूप में पहचाना गया, जिन आदर्शों को भारत के लोगों ने सदियों से अपनाया था। ये आदर्श और विश्वास आज़ादी के आन्दोलन के दौरान भी भारत के लोगों के संघर्ष का मुख्य केन्द्र रहे।

इन मूल्यों में लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय व धर्मनिरपेक्षता प्रमुख मूल्य हैं। इन मूल्यों का महत्व इस तथ्य से पता चलता है कि इन्हें सबसे पहले संविधान सभा द्वारा स्वीकार किये जाने वाले संविधान के उद्देश्यों में शामिल किया गया था एवं उसे संविधान की उद्देशिका में लिखा गया।

1. बच्चे क्यों खुश थे?
2. शिक्षिका ने सभी बच्चों के विचार क्यों लिए?
3. कार्यक्रम की योजना यदि शिक्षिका स्वयं बनाती तो क्या होता?
4. क्या बच्चे अपनी बात को कहने के लिए स्वतंत्र थे?
5. कार्ययोजना बनाने में क्या सभी ने अपनी भूमिका निभाई थी?
6. इस अनुभव से आपको लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के बारे में क्या समझ आता है? शिक्षिका से चर्चा कीजिए।

लोकतंत्र


भारत में आज़ादी के दौरान एक आम सहमति बन चुकी थी कि भारतीय शासन व्यवस्था ऐसे लोकतंत्र पर आधारित होगी जिसमें सभी की समान भागीदारी हो। भागीदारी का क्या अर्थ होता है, इसको पढ़ने के लिये हम एक अनुभव पर विचार करते हैं।



स्कूल जाती हुई



पटना साहिब



अरवल, बिहार खेत मज़दूर यूनियन की एक सभा को संबोधित करती हुई महिला

1. स्वयं करें और बतायें –

पुस्तक में दी गई संविधान की उद्देशिका को ध्यान से पढ़ें और दिए गए चित्रों को देखकर बतायें कि इनमें संविधान की कौन सी स्वतंत्रता झलकती हैं।

2. क्या किसी भी लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्रता का अधिकार असीमित हो सकता है? यदि किसी भी व्यक्ति या सरकार के कार्यों से दूसरे के हित को खतरा पहुँचता है तो क्या ऐसी स्वतंत्रता समाज के हित में सीमित की जा

थे। यदि सारे कार्यक्रमों को शामिल किया जाता तो पूरा दिन लग जाता और किसी कार्यक्रम को छोड़ दिया जाता तो बच्चों के कोमल हृदय को ठेस पहुँचती। शिक्षिका ने बच्चों की आम सहमति से 10 बच्चों की एक टोली को कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने का भार सौंपा।

उन्होंने सभी बच्चों की बातों को सुना और आम सहमति से कार्यक्रम का चयन किया। कार्यक्रम के चयन में सभी ने भागीदारी निभाई इसलिए सारे बच्चे बहुत प्रसन्न थे और कार्यक्रम के आयोजन का इंतजार कर रहे थे।

स्वतंत्रता

लोकतंत्र की सफलता का मुख्य आधार उस देश में निवास करने वाले लोगों की स्वतंत्रता से है। जरा सोचिए, यदि लोग अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त

1. संविधान की उद्देशिका को ध्यान से पढ़ें और बतायें कि संविधान में कौन-कौन सी समानताओं का उल्लेख किया गया है?
2. नीचे दिए गए उदाहरणों में कौन-कौन सी असमानताएं दिखाई दे रही हैं।
 - अपहरण के मामले में चार लड़के गिरफ्तार होते हैं। उनमें से श्याम एक धनी परिवार का इकलौता लड़का है। मजिस्ट्रेट सभी को एक ही सजा सुनाता है।
 - एक गाँव में स्थित मंदिर में कुछ खास समुदाय के लोगों को नहीं जाने दिया जाता।
 - आपके पड़ोस के स्कूल में आपके छोटे भाई का नामांकन नहीं किया जाता क्योंकि आपके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है।
 - किसी निजी नौकरी के लिए आपको इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि आप

असमानताओं को दूर करने के लिए कई तरह के प्रयास किए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 25 पैसे वार्षिक चन्दा लेकर सभी को सदस्यता देना और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की मांग करना समानता की तरफ उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण कदम थे। संविधान सभा द्वारा जब संविधान लिखा जा रहा था तो समानता के मूल्य को संविधान में उचित स्थान देने की कोशिश की गई थी। इस मूल्य को स्थापित करने के लिए संविधान में मूल अधिकारों व राज्य के लिए बनाए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों का कई जगह विशेष उल्लेख किया गया है।

1. अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति समानता के सिद्धांत के विरुद्ध क्यों नहीं जाती? अपनी शिक्षिका की सहायता से इस पर चर्चा कीजिए।
2. अपने स्कूल में चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी एकत्र कीजिए। ये योजनाएं क्या हैं और क्यों चलाई जाती हैं समूह में चर्चा कीजिए।

सामाजिक न्याय

भारतीय समाज में पाई जाने वाली तरह-तरह की असमानताओं को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा ने सामाजिक न्याय को एक प्रमुख मूल्य के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की है। सामाजिक न्याय का मतलब समाज के पिछड़े हुए वर्गों को समाज के बाकी वर्गों के बराबर खड़े करने की कोशिश से है; ताकि कई हज़ार सालों से इन वर्गों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके प्रभाव को कुछ हद तक कम किया जा सके। सामाजिक न्याय को एक ठोस रूप देने के लिए संविधान में कई

अभ्यास के प्रश्न

1. एक नागरिक के रूप में देश के लोगों के लिए संविधान महत्वपूर्ण क्यों है?
2. स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाने की मांग क्यों रखी होगी?
3. भारत के संविधान में दिए गए मूल्यों में से आपको कौन से मूल्य सबसे महत्वपूर्ण लगते हैं और क्यों?
4. संविधान में दिए गए समता और सामाजिक न्याय को लागू करने के लिए सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन्हें निम्न तालिका में भरिये।

समता का मूल्य	सामाजिक न्याय

5. नीचे दिए गवांरा को पढ़ कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

संविधान सभा की बैठक नई दिल्ली के संविधान सभा भवन में 8.30 बजे शुरू हुई। माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने सभा की अध्यक्षता की। इस सभा में माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने विचार प्रस्तुत किये, “सभिति में दो विचारधाराएं थीं। बड़ी तादाद में विख्यात वकील थे, जो बहुत बारीकी से हर वाक्य, हर शब्द, यहाँ तक की विराम और अल्प विराम की जाँच कर रहे थे। ये दोनों विचारधाराएं दो अलग-अलग दृष्टिकोणों से मामले को देखती थी। एक विचाराधारा यह मानती थी कि अधिकारों के इस प्रतिवेदन में जितने अधिक से अधिक संभव हों, अधिकार शामिल करने चाहिए जो अदालत में सीधे लागू किए जा सकें। इन अधिकारों को लेकर कोई भी नागरिक बिना किसी कठिनाई के सीधे अदालत जा सके और अपने अधिकार प्राप्त कर सकें। दूसरी विचारधारा

का मत था कि मूल अधिकारों को कुछ ऐसी बहुत अनिवार्य बातों तक सीमित रखा जाना चाहिए जिन्हें आधारभूत माना जा सके। दोनों विचारधारों में काफी बहस हुई और अन्त में एक बीच का रास्ता निकाला गया, जिसे एक अच्छा मध्यम मार्ग माना गया। दोनों विचारधारों के लोगों ने सिर्फ एक देश के मूल अधिकारों का अध्ययन नहीं किया बल्कि दुनिया के लगभग हर देश के मूल अधिकारों का अध्ययन किया। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि हमें इस प्रतिवेदन में जहाँ तक संभव हो, उन अधिकारों को शामिल करना चाहिए, जिन्हें उचित माना जा सके। इन बातों पर इस सदन में मतभेद में हो सकता है, सदन को हर धारा पर आलोचनात्मक तरीके से विचार करने, विकल्प सुझाने, संशोधन के सुझाव देने और निरस्त करने का अधिकार है।”

प्रश्न

1. संविधान सभा की मूल अधिकारों की समिति में कौन-कौन से विचार प्रमुख रूप से उभर रहे थे?
2. आप इनमें से किस विचार के साथ सहमत हैं? और क्यों?
3. संविधान सभा में सदस्य किस तरह किसी निर्णय पर पहुंचते थे, गद्यांश के आधार पर अपने शब्दों में लिखिये।



राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम

- i) सभी तंबाकू उत्पाद हानिकरक हैं।
- ii) कोई भी तंबाकू उत्पाद किसी भी मात्रा में सुरक्षित नहीं है।
- iii) बीड़ी उतनी ही हानिकरक है जितनी की सिगरेट।
- iv) सेवेंट हैट धूम्रपान भी जानलेवा होता है।
- v) तंबाकू चबाने से मुँह के कैंसर सहित कई रोग हो सकते हैं।

धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार

क्या आपकी कक्षा व विद्यालय में अलग-अलग धर्म को मानने वाले बच्चे हैं? अपनी शिक्षिका की मदद से उन धर्मों की सूची बनाइए जो आपके घर, मोहल्ले, कक्षा व विद्यालय के लोग मानते हों। इनके अलावा भी आपको यदि कुछ अन्य धर्मों की जानकारी है, तो वे भी आप इस सूची में शामिल कर सकते हैं। अब इस सूची को देखकर आप यह तो समझ ही गए होंगे कि हमारे आसपास अलग-अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। यदि हम पूरे देश की बात करें तो अलग-अलग धर्मों को मानने वाले लोगों की सूची और भी लंबी हो जाएगी।

भारत जैसे विशाल देश में कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। सभी को अपना धर्म प्यारा लगता है। हाँ, यह बात भी गलत नहीं है कि कई बार लोग अपना पैदाईशी धर्म छोड़कर कई कारणों से किसी अन्य धर्म को अपना लेते हैं।

अब आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत के संविधान निर्माताओं के लिए इस देश के लोगों की धार्मिक मान्यताएं और उनका समान रूप से आदर करने का मुद्दा कितना दिलचस्प और अहम् रहा होगा।

आप सोच रहे होंगे, भला ऐसा क्यों? यह इसलिए क्योंकि कई देशों में समय-समय पर धर्म के नाम पर विभिन्न धर्मों के लोगों व समूहों के बीच अत्याचार व दंगे हुए हैं। हमारे अपने देश में भी अँग्रेजों की नीतियों की वजह से हिन्दू व मुसलमानों में भी अनेक भेदभाव उत्पन्न हुए, जिसका नतीजा आखिर में भारत के विभाजन के रूप में नज़र आया।

जब भारत का संविधान बनाने की कोशिश की जा रही थी, तब इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा गया था कि देश की धार्मिक विविधता को बरकरार रखा जाए और साथ ही सभी लोगों को अपना-अपना धर्म मानने और उसका प्रचार-प्रसार करने की आज़ादी दी जाए।

Developed by:



www.absol.in



क्या आपको लगता है कि हमारे देश में लोगों को अपने धर्म को मानने व उसका प्रचार-प्रसार करने की छूट दी गई है? ऊपर दिए गए रिक्त स्थान में इस विषय पर अपने विचार अभिव्यक्त कीजिए।

इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता को एक मूल्य माना गया।

धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता

भारत में विश्व के आठ प्रमुख धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। ये हैं हिन्दू, इस्लाम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन और यहूदी।

भारत के संविधान निर्माताओं के सामने एक बड़ी चुनौती यह थी कि वे यह कैसे सुनिश्चित करें कि धर्म के नाम पर किसी धार्मिक संप्रदाय को दबाया नहीं जाएगा। इस बात का डर अक्सर उन परिस्थितियों में होता है जहाँ किसी एक धर्म को मानने वाले लोग बहुमत में हों और उसी धर्म के लोगों के हाथ में सत्ता भी हो। इसलिये यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी किसी भी व्यक्ति से नहीं छीनी जाएगी।

कई बार देखा गया कि लोग जिस धर्म को मानने वाले परिवार में पैदा होते हैं, उस धर्म के रीति-रिवाज़ों का विरोध करते हुए व उसे नकारते हुए किसी अन्य धर्म या उसी धर्म के किसी अन्य संप्रदाय को अपना लेते हैं।

इसके अलावा यह भी ज़रूरी था कि कोई भी राज्य सरकार किसी एक धर्म को

1. भारत में मुख्य तौर पर किन-किन धर्मों के लोग रहते हैं?
2. भारत के संविधान निर्माताओं के सामने कानून बनाते समय धर्म सम्बंधित क्या चुनौतियां थीं?
3. भारत में लोगों के बीच किस तरह की भिन्नताएं पाई जाती हैं?

महत्व नहीं देगी और अपने कानून, नियम व नीतियों को किसी एक धर्म का आधार रख कर नहीं बनायेगी।

इन्हीं कारणों से भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को मुख्य सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया था।

धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है

धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि भारत के संविधान के अनुसार सभी लोगों को अपनी-अपनी धार्मिक मान्यताओं व तौर-तरीकों को अपनाने की पूरी आजादी है। राज्य के सामने सभी धर्म समान हैं। सिर्फ इसलिए कि किसी एक धर्म को मानने वाले लोग अधिक संख्या में हैं, उनको राज्य की तरफ से कोई विशेष स्थान या रियायतें नहीं दी जायेंगी। भारतीय राज्य की शक्ति का इस्तेमाल एक समान रूप से होता है व उसमें धार्मिक विचारों, मान्यताओं और विश्वासों का कोई स्थान नहीं है। धर्म को राज्य से अलग रखने के इसी विचार को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। उदाहरण के लिये – हमारे देश में यह कानून है कि 18 वर्ष या अधिक आयु के सभी नागरिक वोट डालने के हकदार हैं। इसी तरह शिक्षा के अधिकार के कानून के द्वारा यह निश्चित किया गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार है।

धर्मनिरपेक्षता का यह भी मतलब है कि राज्य या सरकार के किसी भी कार्यालय जैसे सरकारी स्कूल, कॉलेज, थाना, जिला एवं तहसील कार्यालय, अस्पतालों आदि में ऐसे प्रतीक या चिह्न जैसे मूर्तियाँ, तस्वीरें, चित्र, चार्ट, नारे एवं कथन आदि नहीं लगाये जायेंगे, जो किसी एक धर्म को अधिक महत्व देते हों और उस धर्म के प्रचार-प्रसार में सहायक हों।

हमारा संविधान कुछ धर्मों के सिद्धांतों का पालन करने के लिए उस धर्म के लोगों को सामान्य नियमों में कुछ रियायतें भी देता है। जैसे आम तौर पर हमारे

1. एक उदाहरण देकर धर्मनिरपेक्षता का मतलब समझाइये।
2. एक सरकारी कार्यालय का स्वागत कक्ष किसी एक धर्म की तस्वीरों से सजाया गया है। क्या यह तथ्य धर्मनिरपेक्षता के किसी पहलू का उल्लंघन है? कारण सहित समझाइये।
3. भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। फिर भी यहाँ कुछ धर्मों के लोगों को विशेष रियायतें क्यों दी गई हैं?

यहां यह नियम है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर नहीं जा सकता पर सिख धर्म के मानने वालों को इस नियम में रियायत दी गई है। वे अपने साथ 6 इंच तक की कृपाण रख सकते हैं क्योंकि कृपाण रखना सिख धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत है। इसी तरह इस्लाम धर्म को मानने वालों को भी सेना में दाढ़ी रखने की छूट दी गयी है। जबकि सामान्य नियम यह है कि सेना में कोई भी व्यक्ति दाढ़ी नहीं रख सकता।

अब सोचने वाली बात यह है, कि कई धर्मों में कुछ ऐसे रीति-रिवाज या प्रथाएं हो सकती हैं जो अमानवीय हों? तो क्या इन परिस्थितियों में भी राज्य तटस्थ रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे हालात में राज्य को पूरा अधिकार है कि वह इन अमानवीय रीतियों के विरुद्ध कोई ठोस कदम उठाए जिससे समाज में शांति बनी रहे व किसी व्यक्ति या सम्प्रदाय के साथ धर्म के नाम पर नाइंसाफी न हो।

अधिकांश धर्म एक ही सम्प्रदाय वाले नहीं होते बल्कि वह कई सम्प्रदायों में बंटे हुए होते हैं, जैसे जैन धर्म में श्वेतांबर व दिगंबर। धर्मनिरपेक्षता का मूल्य इन भिन्नताओं के विषय में भी वही नीति अपनाता है जो कि अन्य धर्मों के बीच समानता रखने के लिए आवश्यक है। आइये इसको बेहतर समझने के लिए एक कहानी पढ़ें।

सरोज, हिरामणी नाम के वेश में रहती हैं, जिसकी जनसंख्या लगभग दो करोड़ है। वैसे तो यहां पर चार अलग-अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन इनमें से परीमल धर्म के लोग सबसे ज्यादा हैं। इन सभी धर्मों के अपने-अपने भगवान और अपनी-अपनी धार्मिक विचारधाराएं हैं लेकिन परीमल धर्म के अलावा राज्य ने अन्य धर्मों के लोगों पर कई तरह की पाबन्दियां लगा रखी हैं।

सरोज का परिवार मीनल धर्म को मानता है और उसे अक्सर यह लगता है कि शायद उसका धर्म परीमल धर्म से किसी तरह से कम है। तभी तो जो आज्ञादी व छूट परीमल धर्म के लोगों को मिली हुई है, वह उसके व हिरामणी में अन्य धर्मों को

मानने वाले लोगों के पास नहीं है। इसी बात से परेशान एक दिन वह अपनी माँ से पूछती है, “माँ हमारे देश में हमारा अपना कोई सार्वजनिक धार्मिक स्थान क्यों नहीं है, जहाँ जा कर हम पूजा कर सकते हैं।”

इस पर सरोज की माँ ने समझाया, “हमारे देश के संविधान में परीमल धर्म को ही राज्य का मुख्य धर्म माना गया है और उसी धर्म के लोगों को अधिक महत्व दिया गया है व इस हेतु उन्हें खास हिदायतें दी गई हैं।”

“जैसे, परीमल धर्म के अलावा अन्य धर्म के लोग अपने घरों में तो पूजा-पाठ कर सकते हैं लेकिन किसी भी सार्वजनिक स्थल पर इ क ट् टा होकर, अपना कोई भी धार्मिक त्यौहार नहीं मना सकते।”

“इसके अलावा, हिरामणी में सरकारी छुट्टियाँ केवल परीमल धर्म के पर्वों के लिए ही रखी गई हैं, जैसा कि तुमने अपने विद्यालय में देखा होगा, कि वहाँ पर उन्हीं के देवी-देवताओं की तस्वीरें लगी हुई हैं। ये आज़ादी उन्हें सरकारी कार्यालयों, अस्पताल व कोर्ट कचहरी में भी दी गई है।”

सरोज तुनक कर बोली, “यह बात तो बिलकुल गलत है माँ।”

“अरे बेटी, इसे छोड़, हमारे देश के प्रमुख पदों जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश आदि पर केवल परीमल धर्म के लोग ही बैठ सकते हैं।”

“तो माँ, क्यों न हम अपना धर्म छोड़ कर परीमल धर्म को अपना लें?”

“नहीं हमें इसकी इजाज़त नहीं है।”

“तो माँ, हमारा धर्म क्या किसी बात में परीमल से कम है?”

“नहीं ऐसा नहीं है। सभी धर्म अलग-अलग विचारधाराओं पर आधारित होते हैं। कोई भी किसी से बड़ा या छोटा नहीं होता।”

“तो माँ क्या परीमल धर्म के लोगों को सिर्फ इस वजह से विशेष छूट मिली हुई है क्योंकि इस देश में उनकी संख्या अधिक है?”

यह बात तो ठीक नहीं है। जब सब धर्म बराबर हैं तो सभी धर्मों को बराबर के अधिकार मिलने चाहिए।



“हाँ, सरोज, हमारे संविधान को बनाने वाले समूह में भी इसी धर्म के लोगों का बोलबाला था और आज तक हमारे देश में जो भी सरकार बनी, उनमें परीमल धर्म के लोगों की संख्या अधिक रही। इसलिए उन्होंने अपना धार्मिक प्रभाव बनाए रखा।”

भारत में धर्मनिरपेक्षता को मुख्य रूप से लागू करने के उपाय

धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकारों के सम्बंधों पर चर्चा करने से पहले यह जानना ज़रूरी है, कि इन अधिकारों को शामिल करने के पीछे संविधान निर्माताओं के मुख्य लक्ष्य क्या थे? भारत में धर्मनिरपेक्षता को सिर्फ सिद्धांत के रूप में ही स्वीकार नहीं किया गया है। इसे व्यावहारिक रूप देने के लिए अन्य कई तरह की कोशिशों की गई हैं।

मौलिक अधिकार : मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति के आत्मसम्मान के लिए व मानसिक एवं शारीरिक रूप से एक स्वस्थ, आत्मनिर्भर, आज़ाद जीवन जीने के लिए ज़रूरी हैं।

उदाहरण के लिए शिक्षित होने का अधिकार, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने-जाने की आज़ादी, अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करने की स्वतंत्रता आदि कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जिनके पूरा न होने पर कोई भी व्यक्ति एक संपूर्ण जीवन नहीं जी सकता।

इसलिए राज्य बहुत सारे कानून इन मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखकर ही बनाता है। यदि कोई व्यक्ति महसूस करता है कि केन्द्र सरकार या राज्य सरकार ने ऐसा कानून पास कर दिया है जो संविधान में दिए गए उनके मूल अधिकारों के खिलाफ है, तब वह सरकार के खिलाफ उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है। तब सर्वोच्च अदालत यह तय करती है कि वह कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं। मौलिक अधिकार संविधान के तीसरे भाग में दिए गए हैं और इन्हें 6 भागों में बाँटा गया है जिन्हें नीचे दिया गया है। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकार –

1. समता का अधिकार – कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून एक समान सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुँच का अधिकार होगा। रोज़गार

के मामले में, राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में इसी किताब में हम आगे पढ़ेंगे। छुआछूत की प्रथा का भी इसी के तहत उन्मूलन कर दिया गया है।

1. समता के मौलिक अधिकार में समता के किन-किन बिन्दुओं को शामिल किया गया है?
2. आप नीचे लिखी बातों में से कौन-कौन सी बातों को समता के अधिकार का ह मानेंगे? चर्चा कीजिए।
 - क. आप किराए पर मकान लेना चाहते हैं और मकान मालिक आपकी जाति और धर्म जानना चाहते हैं।
 - ख. कुछ समुदायों को गांव के भीतर नहीं बल्कि गांव के बाहर घर बनाने को कहा जाता है?
 - ग. कुछ समुदाय के सदस्य कई पूजा स्थानों पर इसलिए नहीं जाते क्योंकि उन्हें डर है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जायेगा या मारा-पीटा जायेगा।
3. मजदूरों के संगठन क्यों बनाये जाते हैं?
4. लोग देश के विभिन्न भागों में जाकर क्यों रहना चाहते हैं?
5. लोग बंधुआ मजदूर क्यों बनते हैं?
6. किन परिस्थितियों में किसी धार्मिक समुदाय की स्वतंत्रता पर सरकार कानून

मौलिक अधिकारों द्वारा धर्मनिरपेक्षता को व्यावहारिक रूप देने की कोशिश

भारतीय राज्य द्वारा धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के लिए तरह-तरह के उपाय किये गये हैं। इन उपायों में मौलिक अधिकारों द्वारा धर्मनिरपेक्षता को लागू करने की कोशिश एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय संविधान में दिये गये मौलिक अधिकारों में से समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार व खासतौर पर अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक व शिक्षा सम्बंधी अधिकार धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने में सहायक हुए हैं।

2. स्वतंत्रता का अधिकार – इस अधिकार के अन्तर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने-जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल हैं।

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार – संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है।

4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार – सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार-प्रसार करने का अधिकार है।

5. सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार – संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई, सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने-अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं।

6. संवैधानिक उपचार का अधिकार – यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत जा सकता है।

समता का मौलिक अधिकार व धर्मनिरपेक्षता:

समता के मौलिक अधिकार में मुख्य तौर पर तीसरी बात सामाजिक समता की कही गयी है। सबसे पहले यह कहा गया है कि कानून के सामने सभी लोग समान हैं। इसका अर्थ यह है कि कानून के द्वारा किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा। चाहे व्यक्ति अमीर हो या गरीब कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा।

इसमें यह बात भी शामिल है कि हमारे देश में ऐसे कानून बनाये जायेंगे जो

1. संविधान में आरक्षण क्यों और किसके लिए रखा गया है? क्या यह समानता के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है? कारण सहित समझाइये।
2. समता के ऐसे दो प्रावधानों के बारे में बताइये जिसमें धर्मनिरपेक्षता के महत्व की झलक दिखती है।

पर आधारित न हों।

समता के मौलिक अधिकार में दूसरी बात नौकरियों में समान अवसर देने की कही गयी है जिसका अर्थ है कि नौकरियां देते समय राज्य नागरिकों के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

नौकरियों में सभी को समान अवसर देने के लिए राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह सदियों से दबाई जा रही जातियों, वर्गों, महिलाओं और विकलांगों के लिए नौकरियों के कुछ पदों को आरक्षित कर सकता है। इसका मतलब यह है कि आरक्षित पदों पर केवल सम्बंधित वर्गों के लोगों की ही नियुक्ति की जायेगी।

संविधान में इस मौलिक अधिकार के तहत तीसरी बात सामाजिक समता की कही गई है। सामाजिक समता को सुनिश्चित करने के लिए यह कहा गया है कि

1. नीचे लिखी तालिका को शिक्षक/शिक्षिका की सहायता से पूरा करें:


धर्मनिरपेक्षता के बिन्दु	धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार के बिन्दु

Developed by:



www.absol.in

सार्वजनिक स्थानों जैसे दुकानों, सिनेमा हॉल, होटलों, पूजा स्थलों आदि के उपयोग से किसी को रोका नहीं जायेगा। इसके अंतर्गत संविधान में जाति के आधार पर माने जाने वाले छुआछूत को समाप्त कर उसके व्यवहार और प्रचार-प्रसार को दण्डनीय अपराध बना दिया गया है।



धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार व धर्मनिरपेक्षता:

धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार में यह कहा गया है कि हर एक व्यक्ति अपने अंतरात्मा की आवाज़ से किसी भी धर्म को मान सकता है। उसे किसी धर्म को मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह पूरी तरह से व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है कि वह किसी धर्म को माने या न माने।

धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार यह भी विश्वास दिलाता है कि राज्य द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों, कॉलेजों एवं अन्य अनुदान प्राप्त स्कूलों, कॉलेजों आदि में किसी भी तरह की धार्मिक पूजा, धार्मिक समारोह या धार्मिक गतिविधि नहीं की जा

1. अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति व शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए कौन-कौन से अधिकार दिये गये हैं।
2. अल्पसंख्यकों को दिये गये संस्कृति व शिक्षा के अधिकार से धर्मनिरपेक्षता कैसे मजबूत होगी? उदाहरण देकर समझाइये।

सकती। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सरकार का कोई अपना धर्म नहीं होता। सरकार न किसी धर्म को बढ़ावा देती है न किसी धर्म को कमजोर करने की कोशिश कर सकती है।

अल्पसंख्यकों के संस्कृति व शिक्षा सम्बंधी अधिकार व धर्मनिरपेक्षता

नीचे दिए गए चित्र में आपने देखा कि शिक्षिका ने बहुमत के अनुसार निर्णय लिया। क्या यह सही था? हमारे संविधान में इस बात का ध्यान रखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के मत के आधार पर निर्णय लिया जाए।

लेकिन इसके साथ-साथ संविधान में यह भी ध्यान रखा गया है किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के साथ नाइंसाफी न हो बल्कि संविधान के तरफ से उन्हें कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं। जैसे, कि सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म के आधार पर हों या भाषा के आधार पर, अपनी विचारधारा की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और चलाने का अधिकार है।

आम तौर पर भाषा और धर्म के आधार पर यह किया जाता है कि किन्हें अल्पसंख्यक समूह माना जाएगा। कोई अल्पसंख्यक है या नहीं, यह इस पर निर्भर करता है कि वे कहां रहते हैं। उदाहरण के लिए, मराठी बोलने वाले लोग महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक नहीं माने जायेंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में वे अल्पसंख्यक माने जायेंगे।

अल्पसंख्यक समूहों को अपनी संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए शैक्षणिक संस्थाएँ स्थापित करने और उन्हें चलाने की स्वतंत्रता है। उदाहरण के लिए यदि

कन्नड़ भाषी लोग अपनी संस्कृति और भाषा के संरक्षण के लिए बिहार में कन्नड़ माध्यम का स्कूल चलाना चाहें, तो उन्हें ऐसा करने से रोका नहीं जा सकता।

अगर ऐसी संस्थाएं अनुदान व मान्यता के लिए ज़रूरी शर्तें पूरी करती हैं तो सरकार उन्हें अनुदान व मान्यता देती है।

जैसा कि हमने अध्याय के शुरू में पढ़ा कि भारत में धर्मों के साथ-साथ भाषाई विविधताएं भी पायी जाती हैं। ज़्यादातर भाषाएँ ऐसी हैं जो कम संख्यावाले लोगों द्वारा बोली जाती हैं। अधिकतर भाषाओं का सम्बंध कम संख्या वाले धर्मों को मानने वालों से भी है। इसलिए अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक व शिक्षा सम्बंधी अधिकार धर्मनिरपेक्षता को व्यवहार में लागू करने व मज़बूत करने में बहुत सहायक हुए हैं। अल्पसंख्यकों की भाषाओं को सुरक्षा प्रदान करके एक तरह से उनकी धार्मिक

अभ्यास के प्रश्न

1. भारत में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों है? अपने शब्दों में समझाइये?
2. धर्मनिरपेक्षता में मुख्य रूप से कौन-कौन सी बातें शामिल हैं?
3. आपके विचार में भारत में धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के लिए कौन-से मौलिक अधिकार शामिल है और क्यों?
4. अगर किसी धर्म के लोग मानते हैं कि नवजात शिशुओं की हत्या करना उनके धर्म का ज़रूरी हिस्सा है, तो सरकार को ऐसी परंपराओं को रोकने के लिए दखल देना चाहिए कि नहीं? कारण सहित समझाइये।

5. नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिये –

कई स्थानों पर हो रहे सांप्रदायिक दंगों के डर से एक गाँव की महिलाओं का समूह पुलिस थाने में गया। वे एक लिखित शिकायत दर्ज करवाना चाहती थीं और रहने के लिए एक सुरक्षित जगह या पुलिस की हिफाज़त चाहती थीं। थानेदार जो कि दूसरे धार्मिक संप्रदाय का था, उन महिलाओं की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने से इंकार कर दिया। पुलिस ने उनको ज़रूरी सुरक्षा तक नहीं दी। दूसरे दिन दंगाई भीड़ ने इन महिलाओं के घरों को जला दिया।

प्रश्न

1. थानेदार ने धर्मनिरपेक्षता के मूल्य का पालन किया है या नहीं? अपने शब्दों में लिखिये।
2. गद्यांश में दी गई परिस्थिति में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को क्या करना

संसदीय सरकार (लोग व उनके प्रतिनिधि)

जरा सोचकर बताइये कि क्या आपके विद्यालय, गाँव, शहर या देश की शासन व्यवस्था में हम सभी भागीदार बन सकते हैं? क्या यह मुमकिन है? हाँ, यदि समूह छोटा हो, तो शायद यह संभव है कि सारे लोग उसमें बराबरी से हिस्सेदारी कर सकें और जरूरी निर्णय लेने व उन्हें लागू करने में बराबर की भूमिका निभाएं। लेकिन यदि बात हमारे देश की हो, या फिर गाँव की भी क्यों न हो, ऐसा संभव नहीं है।

भारतीय संविधान यह तो निश्चित करता है कि सभी लोग अपने देश की शासन प्रणाली का हिस्सा बनें – लेकिन प्रत्यक्ष रूप में नहीं, अपने प्रतिनिधियों द्वारा। हमारे देश में 18 वर्ष या उससे ऊपर के सभी नागरिकों को मत देकर अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार है। ये प्रतिनिधि अलग-अलग स्तर पर चुने जाते हैं, जैसे ग्राम पंचायत, राज्य विधान सभा और संसद।

इन प्रतिनिधियों की यह ज़िम्मेदारी होती है कि वे अपने क्षेत्र के लोगों की राय जानें, लोगों की समस्याओं को सुनें और उसे हल करने का प्रयास करें। इन प्रतिनिधियों का चुनाव पांच वर्ष तक के लिए होता है और इनकी ज़िम्मेदारी लोगों के प्रति होती है। इन वर्षों के दौरान यदि ये ठीक से काम न करें तो लोग इन्हें



सही विकल्प चुनें –

1) प्रतिनिधि का अर्थ –

- (अ) – लोगों द्वारा किसी क्षेत्र से चुना गया व्यक्ति
- (ब) – सरकार द्वारा किसी क्षेत्र से चुना गया व्यक्ति
- (स) – उस क्षेत्र का जाना-माना व्यक्ति

2) राज्य विधानसभा के लिए चुने गये व्यक्ति को क्या कहते हैं?

- (अ) – वार्ड सदस्य
- (ब) – थानेदार

दूसरी बार वोट न देकर सरकार में शामिल होने से रोक सकते हैं।

लोग स्थानीय शासन की इकाइयों, जैसे ग्राम पंचायत से लेकर पूरे देश के लिए कानून बनाने वाली संसद तक, सभी में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करते हैं। ये प्रतिनिधि लोगों की तरफ से कानून बनाने, उन्हें लागू करने और शासन के ज़रूरी निर्णय लेने का कार्य करते हैं।

संसदीय सरकार में प्रतिनिधियों का चुनाव एक निश्चित समय के लिए होता है। यह समयावधि समाप्त होने पर लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का फिर से मौका मिलता है। उदाहरण के लिए – भारत में यह अवधि सामान्यतः पाँच साल की है।

पाँच साल के बाद होने वाले चुनाव में लोग पुराने प्रतिनिधियों को दोबारा वोट

1. संसदीय सरकार में आम लोगों की भागीदारी किस तरह से होती है?
2. प्रतिनिधियों को आम लोगों के साथ सीधा संपर्क रखना क्यों ज़रूरी होता है?
3. प्रतिनिधियों का चुनाव निश्चित समय के लिए ही क्यों किया जाता है?
4. क्या आम लोगों की भागीदारी प्रतिनिधियों के चुनाव तक ही सीमित होती है?
5. प्रतिनिधि चुनाव क्यों ज़रूरी है? शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए।

न देकर, नये प्रतिनिधि भी चुन सकते हैं।

संसद का गठन


भारतीय संसद के तीन अंग हैं। **राष्ट्रपति, लोकसभा** और **राज्यसभा**। इन तीनों को मिलाकर ही संसद बनती है।

लोकसभा— भारतीय संसद के दो सदन हैं: लोकसभा और राज्यसभा। संसद के निचले सदन को लोकसभा कहते हैं। नाम के अनुसार यहां बैठने वाले प्रतिनिधियों यानि लोकसभा सांसदों का चुनाव सीधे लोगों द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत व राज्य विधानसभा की तरह लोकसभा के लिए भी हर पाँच साल में चुनाव करवाये जाते हैं।

लोकसभा चुनावों के लिए पूरे देश को लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आम तौर पर विभिन्न राजनैतिक दलों के सदस्य होते हैं। लेकिन इसमें कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव लड़ सकते हैं। इस समय लोकसभा में 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के दो सदस्य भी मनोनीत किये जाते हैं।



संसद भवन, नई दिल्ली



ऊपर दिये गये नक्शे के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिये।

1. बिहार के कुछ प्रमुख शहरों के चुनाव क्षेत्रों को पहचान कर उसके निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम बताइये।
2. आपके सांसद का क्या नाम है? वे किस निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हैं?
3. नक्शे को अलग-अलग रंगों से दिखाने का प्रयास क्यों किया गया है?
4. बिहार के प्रमुख राजनैतिक दलों के नाम पता कीजिए।
5. किसी भी राजनैतिक दल को आसानी से कैसे पहचाना जा सकता है?
6. राजनैतिक दलों का मुख्य काम क्या होता है?

चुने जाने के बाद उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद (एम.पी.) कहलाते हैं। इन सांसदों को मिलाकर लोकसभा बनती है। लोकसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनते हैं।

राज्यसभा— भारतीय संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधि की तरह कार्य करती है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्य सभा में 238 निर्वाचित तथा 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। राज्य के लोग ही विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं। फिर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। प्रत्येक दो साल

के बाद राज्यसभा के एक तिहाई सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। इस तरह राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।

राष्ट्रपति

संसद का तीसरा अंग राष्ट्रपति है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति औपचारिक रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से पता कीजिए कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार



भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी

सरकार का गठन

लोकसभा चुनावों के बाद, चुने गये संसद सदस्यों की सूची तैयार की जाती है। जिस राजनैतिक दल को बहुमत के लिए आधे से अधिक सीटें प्राप्त होती हैं, उस दल के नेता को ही राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। भारत में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिये 543 में से कम से कम 272 सीटों की आवश्यकता होती है। यदि किसी एक दल को बहुमत के ज़रूरी 272 सीटें न मिल पाएँ तो एक से अधिक दल मिलकर भी सरकार बना सकते हैं। इसे गठबंधन सरकार कहते हैं।

नीचे सन् 1984 में हुए आठवीं लोकसभा चुनावों के नतीजों की तालिका दी गयी

राजनैतिक दल सांसदों	निर्वाचित
संख्या	की
राष्ट्रीय दल	

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)

02

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) 02

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (भाकपा) 22

इंडियन कांग्रेस (सोसलिस्ट)

04

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 404

जनता पार्टी 10

लोक दल 03

क्षेत्रीय बल

आल इंडिया द. वि. ड. मु. न. त्र. क. ड. ग. म.
12

द. वि. ड. मु. न. त्र. क. ड. ग. म. (द. मु. क.)
02

आ. ल. इ. ड. य. फ. र. व. ड. ब. ल. क.
02

इंडियन कांग्रेस (जे) 01

ज. म. ए. ड. क. श. म. र. क. अ. न. फ. र. स.
03

केरल कांग्रेस (जे) 02

मुस्लिम लीग 02

पीपुल्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया 01

र. व. ल. य. श. न. र. स. स. ल. स. ट. प. अ. ड. ड. ड.
03

1. आठवीं लोकसभा चुनावों में किस राजनैतिक दल को सबसे अधिक सीटें प्राप्त हुईं?

है। इस तालिका को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिये।

आठवीं लोकसभा चुनाव के परिणाम – 1984

पिछले कुछ सालों में हुए लोकसभा चुनावों में किसी भी एक राजनैतिक दल के पास सरकार बनाने के लिए ज़रूरी बहुमत नहीं थे। इसलिए कई दलों ने साझा मुद्दों पर मिलकर गठबन्धन की सरकार बनाने की कोशिश की है।

राजनैतिक दल संख्या	निर्वाचित सांसदों की
राष्ट्रीय दल	
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 182	
बहुजन समाज पार्टी (बसपा)	014
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (माकपा)	033
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	114
जनता दल युनाइटेड (जदयू)	021
अन्य	005
क्षेत्रीय दल	
ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम	010

ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस		008
बीजू जनता दल	010	
द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (द्रमुक)		012
इंडियन नेशनल लोकदल	005	
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी		008
पहली मक्कल कांची	005	
राष्ट्रीय जनता दल	007	
शिव सेना	015	
समाजवादी पार्टी (सपा)	026	
तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा)	029	
अन्य	023	
पंजीकृत (गैर मान्यता प्राप्त) दल	010	
निर्दलीय	006	
कुल योग	543	

1. तेरहवीं लोकसभा चुनाव में कौन सा दल सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आया?
2. सबसे बड़ा दल होते हुए भी वह पार्टी अकेले सरकार क्यों नहीं बना सकी?
3. जो गठबंधन सरकार बनाई गई, उस गठबंधन का क्या नाम था?
4. आपकी समझ में क्या बहुमत को सरकार बनाने का आधार रखना चाहिए? कारण सहित समझाइए।
5. क्या इस तरह के गठबंधन से बनी सरकार शक्तिशाली सरकार हो सकती है? कारण सहित समझाइये।

गठबंधन की सरकार के उदाहरण को समझने के लिए नीचे दी गयी लोकसभा चुनाव 1999 के नतीजों की तालिका को पढ़ें व निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
तेरहवीं लोकसभा चुनाव 1999 का परिणाम –

प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद

लोकसभा में बहुमत वाले दलों के गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति की सलाह से प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं।

प्रधानमंत्री एवं सभी मंत्रियों के लिए संसद की सदस्यता अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे छह महीने के भीतर सांसद के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति

1. राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं?
2. क्या प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से अपने मंत्रिपरिषद में सहयोगियों को ले सकते हैं? शिक्षिका की मदद से चर्चा कीजिए।

संसद के कार्य

संसद को प्रमुखतः निम्नांकित कार्य करने होते हैं—

1. **विधायी कामकाज** – संसद पूरे देश या देश के किसी भाग के लिए कानून बनाती है। कानून बनाने की प्रक्रिया के बारे में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे।
2. **वित्तीय कार्य**— सरकार को बहुत से काम करने पड़ते हैं। इन सभी कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है। संसद अपनी वित्तीय शक्तियों के द्वारा सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का अधिकार देती है। सरकार को अपने द्वारा

खर्च किये गये धन का हिसाब तथा प्रस्तावित आय का विवरण संसद को देना पड़ता है।

3. सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन और जानकारी देना – सरकार को नियंत्रित करना तथा मार्गदर्शन देना संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। संसद में लोगों द्वारा चुने गये प्रतिनिधि लोगों की तरफ से कार्य करते हैं। इसलिए मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है।

संसद कई तरीकों से मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है। उन तरीकों में प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछना, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना करना और अविश्वास प्रस्ताव पेश करना, प्रमुख हैं।

प्रश्नकाल में प्रश्न पूछना

यदि आप को अपने इलाके के बारे में प्रश्न पूछना होता तो आप अपने सांसद से क्या प्रश्न

पूछते?

नियंत्रण पूछता है। फाइल का पर इस प्रश्न पूछ जात है जा सरकार का फाइल इस नीति या कार्यक्रम से सम्बंधित होते हैं जो पूरे देश को प्रभावित करते हैं।

अविश्वास प्रस्ताव

इस अविश्वास प्रस्ताव वाले नियम के पीछे क्या कारण हो सकता है? आपस में चर्चा कीजिए।

अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण करने का एक मज़बूत तरीका है। यदि संसद को यह लगता है कि मंत्रिपरिषद सही ढंग से काम नहीं कर रही है तो संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है।

ऐसे प्रस्ताव की सूचना मिलने पर लोकसभा अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के लिए एक निश्चित दिन तथा समय निर्धारित करते हैं। बहस के बाद मतदान किया जाता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार हो जाए तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है।

अभ्यास के प्रश्न

1. हमारे यहाँ 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। आपकी समझ से क्या यह ठीक है?
2. लोकसभा जनभावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है। क्या आप इस वाक्य से सहमत हैं? कारण सहित समझाइये।
3. लोकतांत्रिक शासन में आम लोगों की भागीदारी किस तरह से होती है? एक उदाहरण देकर समझाइये।

जानकारी	लोकसभा
सदस्यों की कुल संख्या	
सदस्यों का कार्यकाल	
सदन का कार्यकाल	
चुनाव का तरीका	
सभापति या अध्यक्ष के चुनाव का तरीका	

कानून की समझ

क्या आपको पता है कि हमारे देश में विद्यालय की पहली कक्षा में नामांकन की क्या उम्र है? यह तो शायद आपको पता होगा कि हमारे यहां वोट डालने के लिए क्या आयु सीमा है? या किसी व्यक्ति को थाने क्यों जाना पड़ता है? क्या इन सभी के पीछे कोई निर्धारित नियम होते हैं या ये सभी बातें लोग अपनी इच्छानुसार तय करते हैं? आप लोग सही सोच रहे हैं कि चूंकि ये सारी बातें हमारे देश की कानून व्यवस्था से सम्बंधित हैं, इसलिए ये एक निश्चित प्रक्रिया से तय की जाती होंगी।

आप आये दिन रेडियो, टी.वी. व अखबारों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कानूनों एवं नियमों के बारे में सुनते-पढ़ते होंगे। उनमें से कुछ कानूनों से तो आप परिचित भी होंगे जैसे विवाह की उम्र सीमा, दहेज लेने के विरुद्ध कानून, मताधिकार का कानून आदि। लेकिन कुछ कानूनों के बारे में आपकी जानकारी सीमित होगी, जबकि आपके घर के बड़े-बूढ़े इनसे ज़्यादा अच्छी तरह से परिचित होंगे, जैसे संपत्ति खरीदने-बेचने के नियम, विभिन्न प्रकार के झगड़ों को निपटाने के लिए कानून आदि।

इस अध्याय में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कानून बनाने की आवश्यकता क्यों है, नए कानून किस तरह बनते हैं, और किस तरह ये सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। जितना ज़रूरी हमें यह सब जानना है, उतना ही ज़रूरी यह भी जानना है कि नागरिक होने के नाते हमें अलोकप्रिय या विवादास्पद कानून बनने की

जब एक केन्द्रीय मंत्री के भाई को हत्या के आरोप में सज़ा सुनायी गयी तो वह अपने भाई को राज्य से बाहर भाग निकलने में विशेष मदद करता है।

क्या आपको लगता है कि उस केन्द्रीय मंत्री ने सही काम किया? क्या उसके भाई को केवल इसलिए कानून से माफी मिलनी चाहिए क्योंकि उसका भाई आर्थिक और राजनैतिक रूप से बहुत ताकतवर है?

किसी भी सामूहिक व्यवस्था के संचालन के लिए जो नियम बनाये जाते हैं उन्हें कानून कहा जाता है। इन नियमों-कानूनों के बिना हम एक व्यवस्थित समाज की कल्पना नहीं कर सकते।

स्थिति में क्या करना चाहिए।


सुनिश्चित कानून—व्यवस्था समाज के लिए बहुत आवश्यक है। यह मानव कल्याण और मानवीय अधिकारों के आधार पर बनाये जाते हैं। कानून आम तौर पर स्थिर और निश्चित होते हैं, परन्तु किसी विशेष परिस्थिति या जनता के द्वारा विरोध

कानून कितने प्रकार के

संविधान में उल्लिखित नियमों को संवैधानिक कानून कहते हैं। संवैधानिक नियमों के अनुरूप बनाये गए या अपनाए गए अन्य कानून, सामान्य कानून की श्रेणी में आते हैं। उत्तराधिकार कानून, वैवाहिक कानून, दण्ड विधान आदि हमारे देश के सामान्य कानून हैं।

आपने अपने गाँव या मुहल्ला में परिचितों के यहाँ शादी में भाग लिया होगा। उनमें अलग-अलग धर्म के लोग भी होंगे। प्रत्येक धर्म में शादी की अलग-अलग विधि है। हिन्दुओं में शादी अग्नि के फेरे लेकर सम्पन्न होती है तथा मुस्लिमों में शादी मौलवी के समक्ष एक दूसरे को अपनाने की स्वीकारोक्ति से हो जाती है, ईसाइयों में शादी चर्च में पादरी के माध्यम से शपथ लेते हुए अंगुठी बदल कर सम्पन्न होती है। कानून इस सारे विवाहों को मान्यता तथा वैधता प्रदान करता है क्योंकि ये शादियाँ संबंधित व्यक्तियों के व्यक्तिगत कानून के अनुसार सम्पन्न हुई हैं। किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यवहार को निर्धारित तथा नियंत्रित करने संबंधी कानून व्यक्तिगत कानून की कोटि में आते हैं। सम्पत्ति, व्यक्ति व सरकार के बीच व्यवहार, आपराधिक घटनाओं तथा व्यक्तियों की सुरक्षा को नियंत्रित करने वाले कानून को सार्वजनिक कानून कहते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सहकारिता कानून, दंड विधान आदि सार्वजनिक कानून हैं। सार्वजनिक कानून को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—दीवानी कानून और फौजदारी कानून। दीवानी कानून के अन्तर्गत जमीन—जायदाद, विवाह इत्यादि के झगड़ों की स्थिति में लगने वाले कानून एवं फौजदारी कानून के अन्तर्गत लड़ाई, झगड़ा, हत्या, चोरी, डकैती आदि अपराध के लिए लगने वाले कानून।

सोपान के रूप में कानून को हम इस प्रकार विभक्त कर सकते हैं :-




किये जाने पर खास कानूनों को संशोधित या वापस भी लिया जा सकता है।

कानून कैसे बनते हैं?

लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून निर्माण करने का अधिकार सैद्धांतिक रूप से तो जनता का है, परन्तु तकनीकी तथा व्यावहारिक दृष्टि से जनता के प्रतिनिधि कानून का निर्माण करते हैं। भारत में कानून बनाने का दायित्व संविधान ने भारतीय संसद को दिया है, क्योंकि सांसद जनता के प्रतिनिधि हैं। संसद का एक प्रमुख कार्य देश के लिए कानून बनाना है। कानून बनाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। आम तौर पर जनता सबसे पहले समाज की समस्याओं के समाधान के लिए किसी खास कानून को बनाने के लिए आवाज़ उठाती है। जनता के उठाये गये मुद्दों को मंत्रिमंडल द्वारा उस विषय से सम्बंधित विभाग (विधेयक समिति) के पास सुझाव एवं विधेयक निर्माण के लिए भेजा जाता है। उसके बाद मंत्रिमंडल विधेयक को संसद में पेश करता है उसका मूल उद्देश्य एवं समय निर्धारित करती है। भारत में संसद के दो सदन हैं – लोकसभा एवं राज्यसभा। सामान्यतया विधेयक को किसी भी सदन में रखा जा सकता है। विधेयक पर सदन में विस्तृत चर्चा होती है, जिसमें सुधार एवं संशोधन

कानून बनाने की प्रक्रिया



भी होता है। इसको समझने के लिए निम्न रेखा चित्र को देखा जा सकता है।

संसद में शिक्षा अधिकार कानून पर बहस

आज़ादी के बाद संविधान में शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। उसमें यह प्रावधान (अनुच्छेद 45) रखा गया कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था अगले 10 वर्षों में राज्य द्वारा की जानी चाहिए।

आज 60 वर्षों के बाद भी बाल मज़दूरी, पढ़ाई पूरी किये बिना विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या व लड़कियों की कम साक्षरता प्रतिशत इस बात की ओर संकेत करते हैं कि सरकार द्वारा बनाये गये शिक्षा सम्बंधित कानून पूरी तरह से लागू नहीं हो पाए हैं। इसको लेकर नागरिक संगठन, छात्र-संगठन, समाजसेवी संस्थाएं, अभिभावक एवं आम लोग कई कार्यक्रम, सम्मेलन, मीटिंग, प्रदर्शन व अध्ययन आदि के



अध्यक्ष

रीना जी आप की बारी है, बोलें!

महोदय, शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। हमारी सरकार ने सबके लिए शिक्षा देने की पहले भी कई कोशिशों की हैं। इसलिए मैं अपने दल की ओर से इस बिल का समर्थन करती हूँ। सबके लिए शिक्षा अनिवार्य बनाने के लिए हमारी सरकार ने कई सारी सुविधाएं दी हैं। पाठशालाओं में कमरे बनाने और ब्लैकबोर्ड बनवाने का प्रबंध किया है, लेकिन अभी भी देश के काफी बच्चे विद्यालय से बाहर हैं। इसलिए ऐसे कानून की आवश्यकता है, जिससे कम से कम 6 से 14 वर्ष



रीना जी



अध्यक्ष

अब मैं अनुराधा जी से अनुरोध करती हूँ कि वे बोलें!

महोदय, मैं इस बात से खुश हूँ कि इस विधेयक में यह प्रस्ताव है कि किसी भी बच्चे को विद्यालय जाने के लिए एक किलोमीटर से अधिक दूरी नहीं तय करनी पड़ेगी। ऐसा होने से खासकर लड़कियों को पढ़ने में विशेष सहुलियत मिलेगी, क्योंकि अधिकतर अभिभावक विद्यालय दूर होने के कारण लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजते। उनके पास अपनी बेटियों को भेजने का साधन



अनुराधा जी



अध्यक्ष

धन्यवाद! अब विकास जी अपनी बात कहेंगे!

महोदय, मैं इस विधेयक का पूरी विनम्रता से विरोध करता हूँ। हमारे पास सभी के लिए शिक्षा हेतु कई नियम हैं। कोई भी नया कानून बनाने से समस्या का समाधान नहीं होता, असली समस्या यह है कि बनाये गये नियमों और नीतियों को सही ढंग से लागू नहीं किया जाता। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में यह कहा गया था कि संविधान के लागू होने के दस वर्षों के भीतर सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी। उस बात को आज बासठ वर्ष से अधिक हो गये लेकिन यह अभी तक



विकास जी



रीना जी

महोदय, माननीय सदस्य को इस विषय की पूरी जानकारी नहीं है। मैं सदन को यह बताना चाहती हूँ कि इस विधेयक में एक प्रावधान है कि जो बच्चे अभी तक विद्यालय से नहीं जुड़े हैं उन्हें भी उनकी उम्र के मुताबिक कक्षा में नामांकन करने हेतु विशेष तैयारी करवायी जायेगी। इसमें दलितों तथा विकलांगों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

रीना जी आपका समय समाप्त हो गया है।



अध्यक्ष

कई सदस्यों ने इस बात का ज़ोरदार विरोध किया।
“यह उचित नहीं है। आपको रीना जी को और समय देना चाहिए?”



अध्यक्ष

शांत रहें, अंतरा जी आप बोले!

महोदय, शिक्षा के किसी कानून का तब तक कोई लाभ नहीं होगा, जब तक सभी के लिए समान विद्यालयों की व्यवस्था नहीं की जाती। हमारे देश में कई तरह के विद्यालय चल रहे हैं जिनकी वजह से एक जैसी शिक्षा की व्यवस्था करना संभव नहीं लगता। यदि सरकार इस विषय में गंभीर है, तो कानून में यह प्रावधान किया जाये कि कोई भी निजी विद्यालय नहीं हो।



अंतरा जी



महोदय, मेरा यह मानना है कि यह कानून सिर्फ शुरुआती व्यवस्था है। बाद में हमें उच्च शिक्षा को भी ऐसे कानून के दायरे में लाना पड़ेगा। 14 वर्ष तक आते-आते बच्चे अधिक से अधिक कक्षा आठ तक ही पहुंच पाते हैं। आठवीं तक की पढ़ाई से जीवन चलाने में क्या सहायता मिलेगी? क्या हम सिर्फ दैनिक वेतनभोगी मज़दूर पैदा करना चाहते हैं, जो नाम लिख लें और थोड़ा बहुत हिसाब-किताब कर लें? मेरा मानना है कि अगर आप चाहते हैं कि मज़दूर का बेटा मज़दूर न हो तो इस कानून को व्यापक रूप से उच्च शिक्षा तक बढ़ाया जाये।

द्वारा आवाज़ उठाते रहे हैं।

किसी भी बिल को कानून बनाने के लिए संसद में किस प्रकार की कार्यवाही (चर्चा) होती है, इसे निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है।

बहस इसी तरह चलती रही। बहस के बाद अध्यक्ष ने विधेयक पर मतदान करवाया। विधेयक बहुमत से पारित हो गया।

दिये गये उदाहरण से स्पष्ट होता है कि कानून बनाने में जनता की भूमिका अहम होती है। कानून बनाने की हर प्रक्रिया में जनता की आवाज़ सबसे महत्वपूर्ण होती है। जनता की यह आवाज़ टेलीविज़न, अखबारों, रेडियो तथा आम-सभा, ज्ञापन, अध्ययन, धरना-प्रदर्शन आदि के ज़रिये सुनी और व्यक्त की जा सकती है।

क्या कानून सब पर लागू होते हैं?

हमारे देश का कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर व्यक्तियों के बीच आपस में कोई भेदभाव नहीं करता। कानून देश के सभी नागरिकों



संसद में हो रही चर्चा

पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे व्यक्ति धनी हों या गरीब, स्त्री हों या पुरुष, अगड़े हों या पिछड़े, सरकारी हों या राजनेता। यहां तक कि सम्बंधित व्यक्ति देश का राष्ट्रपति ही क्यों न हो, कानून सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। अर्थात् कानून के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है या कानून का उल्लंघन करता है तो उसके लिए एक निश्चित सज़ा होती है। सज़ा तय होने तक की एक निश्चित प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित होता है।

हमारे देश में कानून का उल्लंघन करने के लिए या अपराध की सज़ा देने के लिए न्यायालय होते हैं। न्यायालय ही सज़ा निर्धारित करते हैं। अगले अध्याय में इस बात की चर्चा दोबारा विस्तार से की जायेगी।


यदि आप अध्याय के शुरू में दिये गये उदाहरण को दोबारा पढ़ें तो पायेंगे कि केन्द्रीय मंत्री द्वारा किया गया कार्य सीधे-सीधे कानून का उल्लंघन है। इस व्यवस्था में लोग अपनी स्वतंत्रता का मनमाने ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। भारत में सभी लोग कानून की दृष्टि से बराबर हैं।

अलोकप्रिय कानून का उदाहरण

बिहार प्रेस बिल 1982 एवं अन्य घटनायें

बिहार राज्य में 1982 में बिहार प्रेस बिल के नाम से राज्य विधानपालिका द्वारा एक कानून पारित किया गया था। इस कानून में ऐसी बातें लिखी गयी थीं, जिनका सहारा लेकर राज्य सरकार की आलोचना करने वाले किसी भी व्यक्ति, अखबार या पत्रिका से जुड़े सभी लोगों को दण्डित किया जा सकता था। सरकार की आलोचना करने पर यह आरोप आसानी से लगाया जा सकता था कि अमुक ने अपने विचारों को लापरवाही से व्यक्त किया है जिससे लोगों के हितों को हानि पहुँची है।

इस कानून से “विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता” के मौलिक अधिकार पर किसी भी तरह की रोक लगायी जा सकती थी। इस कानून का लोगों ने लिखकर, धरना-प्रदर्शन और अन्य माध्यमों से जमकर विरोध किया। तीन सितम्बर 1982 को इसके विरोध में अखिल



1. अपनी शिक्षिका की मदद से, कुछ ऐसे कानूनों की सूची बनायें जो जनता के दबाव में वापस ले लिये गये।

ऐसे कानून बन हैं जिनका लोगो ने पुरजोर विरोध किया है।

उत्तर-पूर्व के कुछ राज्यों में सशस्त्र सेना अधिनियम लागू किया गया है। यह अधिनियम सेना को यह अधिकार देता है कि सेना बिना किसी आदेश के कभी भी लोगों के घरों की तलाशी ले सकती है और लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। वहां के लोग इस अधिनियम का पिछले कई सालों से विरोध कर रहे हैं।



इरोम शर्मिला का अनशन

सन् 1974 से 1976 तक लगाये गये आन्तरिक आपातकाल के दौरान भी प्रेस और बोलने की आज़ादी पर सख्त रोक लगायी गयी थी। इसका उदाहरण देते हुए चण्डीगढ़ के एक प्राध्यापक बताते हैं कि जब लोग पढ़ाते थे तो पुलिस वाले यह देखते थे कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। कारण पूछे जाने पर पुलिस ने बताया कि हमें देखना है कि आप पढ़ाने के दौरान सरकार विरोधी बातें तो बच्चों को नहीं बता रहे हैं। आपातकाल का भी हमारे देश के लोगों ने पुरजोर विरोध किया था।

Developed by:  www.absol.in

आपातकाल के विरोध में लोकनायक जय प्रकाश नारायण जी ने पूरे भारत में जनक्रान्ति प्रारंभ की। आगे चलकर यह जनक्रान्ति “सम्पूर्ण क्रान्ति” के नाम से प्रसिद्ध हुई। दमनकारी कानून का लोगों ने ऐसा विरोध आरंभ किया कि सभी वर्गों के लोग सड़कों पर उतर आये। इस क्रान्ति का उद्देश्य नागरिक स्वतंत्रता के साथ-साथ, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी का निवारण और समाज में परिवर्तन भी था।

अभ्यास के प्रश्न

1. कानून के शासन से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण देकर समझाइये।
2. भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया की मुख्य बातों को अपने शब्दों में लिखिये।
3. आपके विचार में शिक्षा के अधिकार के कानून में किन-किन बातों को शामिल करना चाहिए और क्यों?
4. अगर किसी राज्य या केन्द्र की सरकार ऐसा कोई कानून बनाती है जो लोगों की ज़रूरतों के अनुसार न हो, तो आम लोगों को क्या करना चाहिए?

जन्म-मृत्यु पंजीकरण

जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण कानूनन आवश्यक है। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण समय से नहीं करवाने पर भविष्य में कई तरह की असुविधाएं हो सकती हैं। जन्म प्रमाण पत्र-जन्म की तारीख एवं स्थान का एक प्रामाणिक दस्तावेज है जिसका उपयोग विद्यालय में नामांकन कराने, राशन कार्ड में नाम दर्ज करवाने, वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने, बालिका समृद्धि योजना का लाभ लेने, बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी रिकार्ड एवं टीकाकरण तथा देश की वर्तमान जनसंख्या की स्थिति ज्ञात कर योजनायें बनाने के लिए किया जाता है। वहीं मृत्यु प्रमाणपत्र-मृत्यु की तारीख एवं स्थान का प्रामाणिक दस्तावेज है, जिसका उपयोग पैतृक संपत्ति में दावे के निराकरण, कोर्ट कचहरी में मृत्यु के साक्ष्य के रूप में, जीवन बीमा एवं बैंक खातों की राशि प्राप्त करने, दुर्घटना आदि में मृत्यु होने पर मुआवजा लेने, अनुकम्पा के आधार पर नौकरी का दावा करने के लिए किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में जन्म अथवा मृत्यु का पंजीकरण नगर-निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत सचिव –सह- रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु), आंगनवाड़ी सेविका-सह-उप रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) या चौकीदार को घटना की सूचना देकर 21 दिनों के अंदर निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा जन्म या मृत्यु किसी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल या रेफरल

न्यायपालिका

क्या आप लोग आपस में कभी लड़ते-झगड़ते हैं? आप सोच रहे होंगे, भला यह भी कोई प्रश्न हुआ। हम बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े लोग भी तो आपस में लड़ते हैं। लेकिन बच्चों और बड़ों की लड़ाई में एक अन्तर होता है। आप अपनी लड़ाई का निपटारा करने अक्सर अपने अभिभावक, शिक्षक या प्रधानाध्यापक के पास जाते हैं। ये लोग कभी प्यार से तो कभी डांट-फटकार कर आपके विवाद का हल निकाल लेते



पापा, इसने मेरी किताब फाड़ दी है।

हाँ, तो इसने भी तो मेरी चोटी खींची थी।

बच्चों के पिता ने क्या जवाब दिया होगा? सोचकर लिखिये।

हैं।

यह तो हुई आपकी बात। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, कि जब बड़े लोगों के बीच कोई झगड़ा या विवाद होता है, तो वे अपनी समस्याओं को लेकर कहां जाते हैं। वे कभी अपने मित्रों या सम्बंधियों की मदद से अपनी समस्या का हल निकाल लेते हैं। अगर इससे बात नहीं बनती तो पंचायत की सहायता लेते हैं। परन्तु हर विवाद का समाधान इस तरह से नहीं निकाला जा सकता है।

आपको यह तो पता ही है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। यहां पर कानून का शासन चलता है जो सभी लोगों पर एक सामान रूप से लागू होता है। हमारे देश में कानून के अनुसार अलग-अलग तरह के विवादों का निपटारा करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है जिसमें कई प्रकार की अदालतें हैं। इन अदालतों में लोग न्याय के लिए जा सकते हैं।

न्याय की समझ

जब किसी मुद्दे पर दो व्यक्तियों या दो समूहों के बीच विवाद होता है तो प्रत्येक अपने को सही एवं दूसरे को गलत मानता है।

लेकिन न्याय की दृष्टि से यह तय करना कि कौन सही है व कौन गलत, उतना आसान मामला नहीं है जितना कि हमें लगता है। आइये न्याय को समझने के लिए गीता की कहानी को पढ़ते हैं।

गीता अपने तीन भाइयों की इकलौती बहन थी। बचपन से ही उसके माँ-बाप ने उसे लाड़-प्यार से पाला था। खाने पीने व कपड़े लत्ते की उसे कोई कमी न थी। हां सिर्फ पढ़ाई के लिए वह पास वाले सरकारी हिन्दी माध्यम स्कूल में जाती थी और उसके भाई गांव से कुछ दूर निजी अँग्रेजी माध्यम स्कूल में जाते थे। इस बात से वह अकसर चिढ़ जाती थी और तब उसके पिता व उसके भाई उसे समझाते थे कि लड़की होने के कारण उसका गांव से दूर अँग्रेजी व सह शिक्षा विद्यालय जाना उचित नहीं है। बारहवीं कक्षा के बाद गीता की पड़ोस के गांव के एक लड़के के साथ शादी कर दी गयी जो स्वयं पढ़ रहा था।

कुछ साल बाद गीता के पिता की मृत्यु हो गई और उसके भाइयों ने आपस में अपने पिता की संपत्ति का बंटवारा कर लिया। उसमें से कुछ भी गीता को देने कि ज़रूरत नहीं महसूस की। गीता के ससुराल वालों की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। वह भी आगे पढ़ना चाहती थी और उसे लगा कि अगर पिता की संपत्ति में से उसे भी

कुछ मिल जाता तो वह भी आगे पढ़ सकती थी। जब उसने अपने भाइयों को अपना यह विचार बताया तो वे एकदम बिगड़ गए और बोले पिताजी ने तुम्हारे विवाह में 50 हजार रुपये खर्च किए थे तो तम्हें अब आगे और क्या चाहिए।

आपकी समझ में कौन सही है – गीता या उसके भाई? आपस में चर्चा कीजिए।

लाख की ज़मीन का पैसा आपस में बांट लिया। तो क्या मुझे उसमें से कुछ नहीं मिलना चाहिए? जैसे तुम उनके बेटे हो, मैं भी तो उसी प्रकार उनकी बेटी हूँ।

गीता ने अपने भाइयों से कहा कि यदि आप मेरा हिस्सा नहीं देंगे तो मैं इस बात को ग्राम कचहरी में ले जाऊंगी। तीनों भाइयों ने कहा, जो करना है करो पर तुझको हिस्सा नहीं दिया जाएगा। गीता मामले को ग्राम कचहरी में ले गई।

ग्राम कचहरी के न्यायाधीश ने भी उसके भाइयों का ही साथ दिया। कचहरी ने कहा कि इस गांव में आज तक इस तरह की कोई घटना नहीं घटी जहां बेटियों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिला हो, न ही इस गांव की ऐसी परम्परा है। इसलिए पैतृक संपत्ति पर सिर्फ तुम्हारे भाइयों का ही अधिकार है।

क्या आप ग्राम कचहरी के फैसले से सहमत हैं?

कचहरी ने जो फैसला सुनाया उससे गीता असंतुष्ट थी। उसे लग रहा था कि ग्राम कचहरी ने उसके साथ अन्याय किया है। इसलिए उसने हार नहीं मानी और अंत में अदालत का दरवाजा



Developed by:

ABSOL

www.absol.in

इसलिए गीता के भाइयों को अपनी पैतृक संपत्ति का बंटवारा चार भागों में करना होगा। अन्ततः गीता को हिस्से में तीन लाख रुपये मिले। अदालत के इस फैसले से गीता काफी खुश हुई। खुश भी क्यों न हो, उसे न्याय जो मिला था।

1. अदालत ने गीता के पक्ष में क्या फैसला सुनाया और क्यों?
2. इस कहानी को पढ़ने के बाद न्याय के बारे में आपकी क्या समझ बनती है? इस पर अपनी शिक्षिका के साथ चर्चा कीजिए।

अधीनस्थ अदालतों को कई अलग-अलग नामों से सम्बोधित किया जाता है। उन्हें ट्रायल कोर्ट या जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि नामों से बुलाया जाता है।

उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई में की गयी, ये तीनों प्रेसिडेन्सी शहर थे। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुई। आज देशभर में 21 उच्च न्यायालय हैं। बहुत सारे राज्यों के अपने उच्च न्यायालय हैं जबकि पंजाब और हरियाणा का एक साझा न्यायालय है, जो चण्डीगढ़ में स्थित है। दूसरी तरफ सातों उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नज़दीक पहुंचने के लिए कुछ उच्च

खटखटाया। अदालत में न्यायाधीश ने जो फैसला सुनाया वह पूरी तरह गीता के पक्ष में था।

उन्होंने फैसले में कहा कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पिता की संपत्ति में बेटा हो या बेटी, सभी बराबर के हकदार हैं।

न्यायपालिका की भूमिका

जैसा कि आप लोग जानते हैं, सरकार तीन अंगों की सहायता से कार्य करती है। ये तीन अंग हैं – विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। पिछले अध्यायों में आप लोग विधायिका और कार्यपालिका के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ा है कि विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका उस कानून को लागू करती है।

अगर केन्द्र और राज्य सरकार के बीच, दो राज्यों के बीच, दो नागरिकों के

बीच अथवा सरकार एवं समाज में रहने वाले व्यक्तियों के बीच किसी तरह का विवाद होता है तो इसे सुलझाने के लिए एक निकाय (संस्था) की ज़रूरत पड़ती है जो बिना किसी पक्षपात या दबाव में आकर अपना कार्य करे। ऐसी न्यायिक व्यवस्था को न्यायपालिका कहते हैं।

अपने शिक्षक की सहायता से इस तालिका में दिये गये खाली स्थानों को भरिए।

विवाद के प्रकार	सदाहरण
केन्द्र और राज्य के बीच विवाद	
दो राज्यों के बीच विवाद	
दो नागरिकों के बीच विवाद	

पास ही होता है।

स्वतंत्र न्यायपालिका – किसी भी हालत में न्यायपूर्ण फैसला होने के लिए यह ज़रूरी है कि न्यायाधीश अपना फैसला बिना किसी दबाव या भय के सुना सके। कल्पना कीजिये अगर सरकार का कोई मंत्री किसी प्रकार का अपराध करता है और उसका मामला न्यायालय में जाता है। न्यायालय का न्यायाधीश उस मंत्री या सरकार के दबाव में आकर उसे दोषमुक्त कर देता है। तब यह कहा जा सकता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है और वह ताकतवर लोगों से प्रभावित है। परंतु हमारे देश की न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र इसलिए रखा गया है ताकि वह निष्पक्ष रूप से व बिना किसी दबाव में आकर अपना काम कर सके।

न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए दो तरीके अपनाये गये हैं –

पहला है शक्तियों का बँटवारा, जिसका मतलब है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी राज्य की शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकतीं। कोई भी अदालत सरकार के अधीन नहीं होती और न ही सरकार का प्रतिनिधित्व करती है। इसका दूसरा तरीका है सर्वोच्च और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार का सीधा हस्तक्षेप नहीं होना।

1. न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाये रखने के लिए क्या-क्या किया गया?
2. न्यायपालिका की स्वतंत्रता में किस-किस तरह की बाधाएं आती हैं?

न्याय के उद्देश्य से न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया गया है। कई बार देखा जाता है कि कुछ ताकतवर लोग अपने पैसे और पहुंच का इस्तेमाल करके न्यायपालिका की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं। कई बार कुछ न्यायाधीश भी पैसे व तरक्की के लालच में फंस कर गलत फैसले देते हैं। इससे लोगों को उचित न्याय नहीं मिल पाता। इस तरह के गलत कामों से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को गहरा धक्का लगता है। ऐसे मामले सामने आने पर लोगों का न्यायपालिका में भरोसा भी कमजोर हो जाता है। इस तरह की समस्याओं की वजह से भारत की न्याय प्रक्रिया में सुधार की कई कोशिशें की जा रही हैं ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता व लोगों का उस पर विश्वास बना रहे।

भारत में न्यायपालिका की संरचना

हमारे देश में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है। यह तीन स्तरों पर कार्य करती है। सबसे नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय तथा सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। जिला न्यायालय आम तौर पर जिला मुख्यालय में होता है। जैसे आप सीवान जिले के हैं तो आपका जिला न्यायालय सीवान में ही होगा। उसी तरह से अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार गया जिले का है तो उस जिले का जिला न्यायालय गया में होगा। सम्बंधित जिले में ही आपके विवादों को सुलझाया जायेगा। इन अदालतों का लोगों से सबसे अधिक ताल्लुक होता है और यह बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती हैं।

प्रत्येक राज्य कई जिलों में बंटा हुआ होता है और हर जिले में जिला न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है जो अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। हम बिहार के निवासी हैं तो हमारे राज्य का उच्च न्यायालय इसकी राजधानी पटना में है। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है जो हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय है। यह हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है।

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले बाकी सब अदालतों को मानने पड़ते हैं। नीचे के न्यायालय अपने ऊपर के न्यायालय की देखरेख में काम करते हैं। ये सभी अदालतें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ऊपरी अदालत द्वारा लिया

गया निर्णय नीचे की सारी अदालतों को मानना पड़ता है। इसके अपील के प्रावधान का एक विशेष स्थान है।

क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपनी कोई समस्या लेकर अपनी शिक्षिका के पास गये? और जब उनके फैसले से संतुष्ट न हुए तो आप या आपके मां-बाप प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के पास गये। ऐसे प्रावधान को ही अपील कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत में किया गया फैसला सही नहीं है तो वह उसके विरुद्ध ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में ऊपरी अदालत का फैसला ही निचली अदालतों पर बाध्य होता है।

आम आदमी की न्याय तक पहुँच



सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली

न्यायालय



और कितना समय लगेगा?
इस मुकदमें में मेरी
सारी जमा पूंजी खर्च हो गई!

क्या यह आदमी ठीक सोच रहा है? कई बार न्यायिक प्रक्रिया में बहुत समय लगता है। तो इसका मतलब क्या यह हुआ कि आम आदमी को कोर्ट-कचहरी से दूर रहना चाहिए?

वैसे तो भारत के सभी नागरिक न्यायालयों में न्याय के लिए जाते हैं क्योंकि न्यायिक व्यवस्था नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करती। लेकिन यह बात सच है कि गरीब आदमी के लिए यह कर पाना इतना आसान नहीं है। कानूनी प्रक्रिया में काफी पैसा व समय लगता है और ऊपर से कागजी कार्यवाही की भी जरूरत पड़ती है। यह काम वकीलों का होता है। इस प्रक्रिया को सभी लोगों के लिए समझ पाना मुश्किल होता है। कोर्ट कचहरी के काम करने के अपने तरीके होते हैं जिसमें समय लगता है। यह इसलिए होता है कि जल्दबाजी में किसी के साथ अन्याय न हो। लेकिन इसका असर कई बार उल्टा भी हो सकता है। कई बार कई केस

सालों-साल खिंचते हैं और लोगों के लिए अपना काम-धंधा छोड़ कर नियमित रूप से कोर्ट-कचहरी जा पाना मुश्किल हो जाता है। ये समस्याएं तो सभी के लिए हैं, लेकिन गरीब व्यक्तियों के लिए यह समस्या कई गुना बढ़ जाती है।

न्याय को सभी लोगों तक जल्दी पहुंचाने के लिए न्याय की प्रक्रिया में सुधार की कई नई कोशिशों की जा रही हैं। ऐसी कोशिशों में सभी तरह के न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियां, गरीब लोगों के लिए नि⁰% शुल्क या कम पैसों में कानूनी सहायता की व्यवस्था, विधिक सेवा प्राधिकार का गठन, लोक अदालत और जनहित याचिकाएं शामिल हैं। कई सारी दिक्कतों के बावजूद हमें यह मानना पड़ेगा कि भारत में न्यायिक व्यवस्था का संचालन न्यायपालिका के बिना सोच पाना मुश्किल है। इसके सामने सभी बराबर हैं और यह निश्चित करता है कि अमीर या शक्तिशाली आदमी अपने धन या प्रभाव की वजह से अन्य गरीब या पिछड़े हुए लोगों पर अन्याय ना कर सकें। आइए विधिक सेवा प्राधिकार एवं लोक अदालत क्या है और यह हमारी मदद कैसे काता है? इसके बारे में जानें-

सरकार का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि भारत का कोई भी नागरिक गरीबी या किसी अन्य असमर्थता के कारण न्याय पाने से वंचित न रह जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम '1987' पारित किया गया जो 9 नवम्बर 1995 से प्रभावी है। इस अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकार तथा अनुमंडल विधिक सेवा समिति का गठन किया गया। इनके द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं :-

1. पात्र व्यक्तियों को मुफ्त विधिक सहायता उपलब्ध कराना।
2. लोक अदालतों का आयोजन करके सुलह समझौते के माध्यम से विवादों का निपटारा कराना।
3. विधिक सहायतों उपलब्ध कराने हेतु अत्याधिक प्रभावी एवं कम खर्चीली योजनाएं तैयार करके उन्हें क्रियान्वित करना।
4. ग्रामीण क्षेत्रों, गरीब बस्तियों, श्रमिक बस्तियों आदि में समाज के

सम्भावना हो के पक्षकार को भी कानूनी सहायता प्रदान कर सकते हैं ।

लोक अदालत

बिहार के सभी जिलों के व्यवहार न्यायालय के परिसर में लोक अदालत कार्यरत है । इसकी बैठक सामान्यतः सप्ताह में पांच दिन होती है । इसके अलावा विशेष लोक अदालतों, मेगा लोक अदालतों, चलंत लोक अदालतों एवं उच्च न्यायालय, पटना में भी समय-समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है । लोक अदालत में दीवानी एवं सुलह योग्य फौजदारी मुकदमों का निपटारा होता है जो किसी न्यायालय में लम्बित हो । कोई एक पक्ष या दोनों के आवेदन पर मुकदमा लोक अदालत में भेजा जा सकता है । न्यायालय अपनी मर्जी से भी कोई मुकदमा लोक अदालत में भेज सकती है ।

न्यायालय में वाद दायर करने से पूर्व भी आपसी बातचीत एवं समझौते के आधार पर विवादों के निपटारे के लिए लोक अदालत में वाद (केस) दायर किया जा सकता है । इसके लिए विवाद के एक पक्षकार द्वारा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार के समक्ष आवेदन देना पड़ता है । सचिव दूसरे पक्ष को नोटिस कर बुलाने

अभ्यास के प्रश्न

1. क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की नई न्यायिक व्यवस्था में एक आम UkkXkfjd fdLkh Hkh RkkdRkOkj ,kk vEkhj O,kfDRk ds fOk#) EkqdnEkk TkhRk LkdRkk gS\ कारण सहित समझाइये ।
2. हमें न्यायपालिका की जरूरत क्यों है?
3. निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक हमारी न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिड जैसी है। न्यायपालिका की संरचना को पढ़ने के बाद उसका एक चित्र बनाये ।
4. भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये हैं?
5. आपके विचार में भारत में न्याय प्राप्त करने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? इसे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए?
6. अगर भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र न हो तो नागरिकों को न्याय प्राप्त करने के लिए किन-किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है?
7. कमजोर एवं अक्षम व्यक्ति किस प्रकार न्याय पा सकता है ? मुफ्त विधिक



न्यायिक प्रक्रिया

आप में से शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा, जिसने न तो पुलिस का ज़िक्र सुना है न ही उसे कभी देखा है। आम आदमी की बातों में या फिल्मों में अक्सर पुलिस का ज़िक्र आता है। आपके विचार में पुलिस के क्या-क्या काम होते हैं? क्या पुलिस वाले बहुत शक्तिशाली होते हैं?



आपके अनुसार पुलिस के क्या-क्या काम होते हैं? लिखकर या चित्र बनाकर बताइये।

आइये, न्याय की प्रक्रिया व उसमें पुलिस, वकील व न्यायाधीश की भूमिकाओं को समझने का प्रयास आगे दी गई एक घटना के माध्यम से करते हैं।

विनोद आज अपने घर की नींव डालने के लिए मज़दूरों के साथ अपनी ज़मीन पर आया। विनोद की ज़मीन अवधेश के घर से सटी हुई थी। जैसे ही विनोद ने मज़दूरों से अपने नये घर की नींव खोदने की बात कही तभी अवधेश वहां आ

पहुँचा। उसने विनोद को अपने घर से 2 फीट हटकर नीव खोदने की बात कही पर विनोद नहीं माना। उसने कहा, मेरी “जमीन तो आपके घर से सटी हुई है और मेरी दीवार आपके घर की दीवार से सटी रहेगी। और उसने काम शुरू करवा दिया। इस पर अवधेश भड़क गया। दोनों तरफ से



लोग झगड़ने लगे। तब किसी ने कहा, “भाई क्यों झगड़ते हो? क्यों नहीं अपनी बात ग्राम कचहरी में ले जाते हो।” ग्राम कचहरी ने जमीन के कागजात के आधार पर अवधेश के पक्ष में फैसला सुनाया है।

पर विनोद ने इस फैसले को नहीं माना और अगले दिन जब अवधेश अपने घर नहीं था तो विनोद ने उसकी दीवार से सटाकर अपनी दीवार खड़ी करना शुरू कर दिया। शाम को जब अवधेश अपने घर वापस लौटा तो उन्हें इस बात का पता चला। उन्होंने उसी रात को विनोद के द्वारा तैयार की गई दीवार को तुड़वा दिया। सुबह जब विनोद को बात पता चली तो वे लाठी-डंडे के साथ अवधेश के यहाँ आया और अवधेश की जमकर पिटाई कर दी। उस पिटाई में अवधेश का एक हाथ भी टूट गया।

इन दोनों की लड़ाई को देखकर आस-पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए और बीच-बचाव करके बात को आगे बढ़ने से रोका। इसी बीच उस गाँव का चौकीदार भी वहाँ आ पहुँचा। सत्येन्द्र एवं अरुण, जो अवधेश के पड़ोसी थे, उसे नज़दीक के अस्पताल ले गये। उन्होंने अस्पताल में अवधेश की जांच करवाई उसके हाथ पर

1. ग्राम कचहरी ने अपना फैसला अवधेश के पक्ष में क्यों सुनाया? चर्चा कीजिए।
2. क्या विनोद को अवधेश की पिटाई करनी चाहिए थी?
3. अगर विनोद ग्राम कचहरी के फैसले से संतुष्ट नहीं था तो उसे क्या करना

Developed by:  www.absol.in

थाने में रिपोर्ट

थाने में अरुण ने विनोद के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया। दारोगा ने सादे कागज़ पर रिपोर्ट लिखी। यह मामले की पहली रिपोर्ट यानी एफ.आई.आर. या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट थी। अरुण ने उस पर हस्ताक्षर करके दारोगा से कहा, “आप रजिस्टर में रिपोर्ट दर्ज कीजिए, और इस रिपोर्ट की एक प्रति मुझे भी दीजिए।” दारोगा ने कहा, “जब थाना प्रभारी आयेंगे तब आपकी रिपोर्ट रजिस्टर में लिखा जा



अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण थाना

अवधेश ने अपना मामला एक सामान्य थाने में दर्ज करवाया परन्तु प्रत्येक ज़िले में एक विशेष थाना भी होता है जहां अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य अपने विरुद्ध हुए अत्याचार या अपराध के खिलाफ मामला दर्ज करा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके विरुद्ध किया गया अपराध एक खास तरह का अपराध माना जाता है।

एफ.आई.आर. (प्रथम दृष्टया रिपोर्ट)

थाने में एफ.आई.आर. कोई भी दर्ज करा सकता है। यदि पीड़ित व्यक्ति पढ़ा-लिखा हो तो स्वयं लिखकर और हस्ताक्षर करके एफ.आई.आर. कर सकता है। मौखिक बताने पर दारोगा लिख लेता है, फिर पढ़कर सुनाता है और जानकारी देने वाले से हस्ताक्षर करवाता है। एफ.आई.आर. में अपराध का ब्यौरा, अपराधी का नाम, जगह का नाम और अपराध का समय होना ज़रूरी है। गवाहों के नाम भी एफ.आई.आर. में होने चाहिए। जानकारी देने वाले को एफ.आई.आर. की एक प्रति निःशुल्क मिलती है। यदि कोई थानेदार एफ.आई.आर. दर्ज करने से इंकार करता है तो डाक और इन्टरनेट के माध्यम से भी पुलिस

एगी।' थाना प्रभारी के आने तक अरुण, सत्येन्द्र, अवधेश एवं चौकीदार थाने पर रुके रहे। कुछ ही समय बाद थाना प्रभारी भी आ गए। उनसे अरुण ने रजिस्टर में रिपोर्ट दर्ज करवाई।

अवधेश जाने को तैयार हुआ, पर अरुण ने उसे रोककर थाना प्रभारी से एफ.

1. थाने में रिपोर्ट लिखवाना क्यों ज़रूरी है?
2. अगर आपके घर में चोरी हो जाये तो आप कैसे रिपोर्ट लिखवायेंगे ? विवरण लिखिये।
3. एफ.आई.आर. की कॉपी क्यों ज़रूरी है?

मामले की छानबीन

एफ.आई.आर. के आधार पर थाना प्रभारी ने दारोगा से मामले की छानबीन करने को कहा। दारोगा उसी दिन अवधेश के घर पहुंचा। पहले तो उसने अवधेश की चोटें देखीं। डॉक्टर की पर्ची से पता चला कि चोटें काफी गंभीर हैं। उसने अवधेश के पड़ोसी से पूछताछ की। पड़ोसियों ने मारपीट का विवरण दिया। दारोगा को विश्वास हो गया कि अवधेश को मारपीट से ही इतनी चोट लगी थी।

वह विनोद के पास गया और उसको बताया कि वह उसे अवधेश को गंभीर चोट पहुंचाने के जुर्म में गिरफ्तार कर रहा है। दारोगा उसे अपने साथ थाने ले गया। वहां उससे पूछताछ की। विनोद इस बात से इन्कार कर गया कि उसने अवधेश की पिटाई की है।

गिरफ्तारी

किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसे यह बताना ज़रूरी है कि उसे किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। यदि उसे यह नहीं बताया जाता है तो उसको यह अधिकार है कि वह अपनी गिरफ्तारी का कारण पूछे। बिना अपराध बताए किसी को गिरफ्तार करना गलत है। किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के 24

घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है।

1. एफ.आई.आर. की शिकायत के मामले में पुलिस छानबीन से क्या पता लगाने की कोशिश करती है?
2. मामले की छानबीन के लिए पुलिस को मार-पिट्टाई का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए?
3. किसी भी अपराधी द्वारा थाने में अपना जुर्म कबूल करने पर उसे वहीं पर ही सज़ा क्यों नहीं सुनाई जा सकती?



ज़मानत

थाना प्रभारी ने विनोद को हवालात में बंद कर दिया। उसने थानेदार से बहुत कहा कि उसे छोड़ दिया जाए। तब थानेदार ने विनोद को बताया, “तुम्हारा जुर्म ज़मानतीय है, इसलिये तुम्हें किसी की ज़मानत पर छोड़ा जा सकता है। कोई व्यक्ति जिसके पास ज़मीन-जायदाद हो, तुम्हारी ज़िम्मेदारी ले सकता है।” उसने आगे समझाया, “यदि वह तुम्हारी ज़मानत ले तो तुम्हें घर जाने दिया जा सकता है। यदि तुम्हारे पास भी कुछ ज़मीन-जायदाद है तो तुम भी बॉण्ड भर सकते हो। तुम्हें जब भी थाने या कचहरी बुलाया जाएगा तो तुम्हें आना पड़ेगा, नहीं तो वह जायदाद ज़ब्त कर ली जाएगी।”

विनोद ने बताया कि उसके पास पांच एकड़ ज़मीन है। फिर उसने अपने लिए

2- bLk dgkUkh Eksa fOkUkksn dk TkqEkZ t+EkkUkRkh gS
,kk XkSj&t+EkkUkRkh\

बॉण्ड भर दिया। थानेदार ने उसे यह भी बताया, “कल तुम्हें पेशी के लिए अदालत आना पड़ेगा। तुम चाहो तो अपने बचाव के लिए वकील रख सकते हो।”

गैर-ज़मानती अपराध

विनोद तो ज़मानत पर छूट गया पर सभी जुर्म ज़मानती नहीं होते। चोरी, डकैती, कत्ल, रिश्वत आदि जुर्मों में गिरफ्तार लोगों को ज़मानत पर छूटने का अधिकार नहीं है। ऐसे गैर-ज़मानती जुर्मों में भी मजिस्ट्रेट (दण्डाधिकारी) को ज़मानत की अर्ज़ी दी जा सकती है। फिर यह मजिस्ट्रेट के ऊपर है कि ज़मानत मंजूर करे या इंकार कर दे।

1- t+EkkUkRk dk lkzkOk/kkUk D,kksa j][kk Xk,kk gS\

पहली पेशी

अगले दिन प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की कचहरी में पेशी होने वाली थी। यह कचहरी जिला मुख्यालय आरा में थी। कचहरी के आस-पास काफी लोग थे। वे थे काले कोट पहने हुए वकील, कई अभियुक्त (अर्थात् वे लोग जिनके खिलाफ किसी अपराध की शिकायत दर्ज थी) और दूसरे मामलों की पेशी के लिए आये कई लोग। विनोद, अवधेश, अरुण, विनोद का पुत्र, थाना प्रभारी और दारोगा भी वहां थे। विनोद ने अपना वकील कर लिया था। पुलिस की ओर से सरकारी वकील मुकदमा लड़ रहा था। कुछ ही देर में विनोद की पेशी की पुकार हुई।

प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के सामने यह इस मुकदमे की पहली पेशी थी। थानेदार ने विनोद के वकील को एफ.आई.आर. और पुलिस रिपोर्ट की एक प्रति दे दी ताकि उसे यह पता रहे कि विनोद पर क्या इल्ज़ाम लगाये गये हैं। यह भी पता हो कि उसके विरुद्ध क्या जानकारी इकट्ठी की गई है। इन सारी बातों को जानने के बाद ही विनोद का वकील उसका बचाव कर सकता था। सरकारी वकील ने विनोद पर अवधेश को गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया। विनोद ने इल्ज़ाम कबूल नहीं किया। मजिस्ट्रेट ने 25 दिन बाद अगली पेशी की तारीख दी।

गवाह और पेशी

विनोद ने अपने पक्ष में कुछ दोस्तों के नाम गवाहों में दिये थे। अवधेश ने जो

1. आरोपी को आरोप पत्र की कॉपी मिलना क्यों जरूरी है?

2. किसी भी मामले में दोनों पक्षों के वकील का होना क्यों आवश्यक है?

3. किसी भी मुकदमे में गवाहों को पेश करना व उनसे पूछताछ करना क्यों जरूरी है?

4. पुलिस और मजिस्ट्रेट के काम में क्या

25 1दन बाद जब दूसरा पेशा का

तारीख आई तब सब आरा की कचहरी

पहुंचे। पहले सरकार की तरफ से एक गवाह को बुलाया गया। उसने उस दिन की

सारी बात बताई। फिर दोनों तरफ के वकीलों ने उससे पूछताछ की। ऐसे दो गवाहों

की गवाही के बाद मजिस्ट्रेट ने अगली पेशी की तारीख दे दी।

इस तर

पेशी की तारी

अपने वकील को फीस देनी पड़ती। करीब एक साल तक पेशियां चलती रहीं। फिर

मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया कि विनोद अवधेश की गंभीर पिटाई करने का दोषी है

इसलिए उसे चार साल की कैद होगी।



मामला अखिरकार कोर्ट में पहुँचा, जहाँ न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बात सुनकर अपना फैसला सुनाया।

सत्र न्यायालय में अपील


विनोद फैसले से असंतुष्ट था। विनोद के वकील ने बताया, “सत्र न्यायालय



उच्च न्यायालय, पटना

1. अपील के प्रावधान का क्या उद्देश्य है?
2. ऊपर की अदालतों द्वारा अपील के मामले में दिये गये फैसले नीचे की अदालत को क्यों मानने पड़ते हैं?
3. कई मुकदमे कई साल तक चलते हैं। ऐसा क्यों होता है?

विनोद एवं अवधेश का मामला



में अपील की जा सकती है। सत्र न्यायाधीश मजिस्ट्रेट से ऊपर होते हैं और मजिस्ट्रेट का फैसला बदल सकते हैं। हो सकता है सत्र न्यायाधीश तुम्हें दोषी न ठहराये या सज़ा कम कर दे।” विनोद के वकील ने सत्र न्यायालय में अपील कर दी। इसके कारण सत्र न्यायाधीश ने विनोद की सज़ा स्थगित कर दी। उसे तुरंत जेल नहीं जाना पड़ा। फिर सत्र न्यायालय में मुकदमा चलता रहा। दो साल बाद सत्र न्यायाधीश ने अपना फैसला सुना दिया। उसने विनोद की सज़ा चार साल से तीन साल कर दी।

उच्च न्यायालय

सत्र न्यायाधीश का फैसला सुनकर विनोद हताश हो गया। उसने अपने वकील से पूछा, “क्या ये फैसला बदला जा सकता है?” वकील ने बताया, “सभी राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। वह उस राज्य की सबसे बड़ी कचहरी होती है। किसी भी मुकदमे के फैसले प्रदेश के उच्च न्यायालय में बदले जा सकते हैं। उच्च न्यायालय में अभियुक्त या गवाह नहीं बुलाये जाते। वहां पर तो केवल जानकारी की फाइल के आधार पर ही फैसला होता है? हमारे राज्य का उच्च न्यायालय पटना में है। तुम चाहो तो अपील कर सकते हो। हो सकता है सज़ा और कम हो जाये।” विनोद ने वकील को और फीस देकर उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय ने अपील दर्ज कर ली और कुछ समय बाद फैसला दिया। लेकिन विनोद उच्च न्यायालय में मुकदमा हार गया। उसे वही सज़ा काटनी पड़ी जो सत्र न्यायाधीश ने दी थी। अंत में विनोद को जेल जाना पड़ा।

दीवानी और फौजदारी मामले

विनोद बहुत दुखी था। उसने अपने वकील से कहा, “इतने साल मैं जेल में रहूंगा तो मेरे परिवार की देखभाल कौन करेगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस अध्याय में हमने विनोद और अवधेश के बीच होने वाली फौजदारी मुकदमे की चर्चा की है। ऐसे मामलों का स्वरूप तथा इनके लिए दण्ड के प्रावधान भारतीय दण्ड संहिता में दिये गये हैं। विनोद और अवधेश का यह मामला भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326 के अंतर्गत आता है। ऐसा कोई भी मामला जिससे समाज की शांति और व्यवस्था भंग होती है, फौजदारी मामला माना जाता है। फौजदारी मामलों में पुलिस में रिपोर्ट कैसे की जायेगी या पुलिस के अधिकारी न्यायालय में मुकदमा कैसे दायर करेंगे, ये सारे बिन्दु आपराधिक दण्ड प्रक्रिया संहिता (क्रिमिनल प्रोसीजर कोड) में दिये गये प्रावधानों के तहत तय किये जाते हैं।

अभ्यास के प्रश्न

1. इस पाठ को पढ़ने के बाद क्या आपको न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष लगी? यदि हां तो उन बिन्दुओं की सूची बनाइये जिससे न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पता चलती है।
2. क्या न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित किया जा सकता है? अपने उत्तर को कारण सहित लिखिये।
3. पाठ के आधार पर निम्नलिखित के कामों के बारे में तालिका को पूरा कीजिये। आप यह भी बताइये कि न्याय दिलाने के मामले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है और क्यों?

पुलिस

– प्रथम रिपोर्ट दर्ज करना

.....
.....
.....

वकील

– अपने-अपने पक्ष में सबूत पेश करना व उनकी जांच-पड़ताल करना।

.....
.....
.....

न्यायाधीश

– मुकदमे को सुनना

.....
.....
.....

4. अध्याय में दी गयी जानकारियों के आधार पर निम्न तालिका को भरिये।

दीवानी मामले	फौजदारी मामले

5. मान लो आप एक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं। न्याय देते समय आप किन-किन बातों का ध्यान रखेंगे?

6. भारत में अपनायी जाने वाली न्यायिक प्रक्रिया में क्या-क्या कमियां हैं? इन कमियों को दूर करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए?



अनमील जीवन दिव पर मत लगाइए

मानव रहित रेलवे खम्भार फाटक पार करने से पहले



रुकिए देखिए सुनिए जाइए

खाद्य सुरक्षा

माधोपुर गांव में रामू एक खेतिहर मज़दूर है। रामू का सबसे बड़ा बेटा सोमू सरपंच के यहां तीन वर्षों से मवेशियों की देखभाल का काम करता है। सरपंच कभी-कभार उसे कुछ पैसे देता है, जो साल भर में कुल मिलाकर हज़ार रुपये भी नहीं हो पाते हैं।

सोमू के अलावा रामू के तीन बेटे और दो बेटियां हैं। उसने अपनी बड़ी बेटी कमला की शादी तीन वर्ष पूर्व ही कर दी थी जब वह 16 वर्ष की थी। आज उसका भी दो वर्ष का एक बच्चा है। दूसरी बेटी सरला अभी 14 वर्ष की है। वह जन्म से ही कमज़ोर है। जन्म के समय उसकी मां भी काफी कमज़ोर थी। सरला घर पर ही अपने तीन छोटे भाइयों की देखभाल करती है। रामू की पत्नी तीन चार घरों में चौका-बर्तन का काम करती है। फसल के मौसम में वह खेतों में काम कर कुछ रुपये कमा लेती है।

जब कमला दोबारा गर्भवती हुई तब से उसकी तबियत लगातार खराब रहने लगी। बच्चा भी कमज़ोर पैदा होने के कारण जन्म के कुछ ही दिनों बाद गुज़र गया। इस साल, वर्षा न होने के कारण गांव में खेती का काम नहीं के बराबर है। पहले रामू खेती का काम न मिलने पर गांव के ही ईंट-भट्टे पर काम करने चला जाता था। लेकिन अब उसके शरीर से भी अधिक मेहनत का काम नहीं हो पाता है।

घर की माली हालत बिगड़ने पर बड़ा बेटा सोमू नौकरी की तलाश में शहर चला गया। लेकिन वहां भी उसे कई लोगों ने अवयस्क कह कर काम देने से इन्कार कर दिया। सोमू 18 वर्ष का होने के बावजूद 14-15 वर्ष से अधिक का नहीं



दिखता है। किसी तरह उसे एक होटल में 500 रुपये महीना की नौकरी मिली। इनमें से अधिकांश रुपये वह अपनी मां के इलाज और छोटे भाइ-बहनों की देखभाल के लिए गांव भेज देता है।

इधर कुछ दिनों से सोमू की तबियत भी ठीक नहीं है। लम्बे समय से परिवार को

1. क्या खेतों में काम करके रामू को नियमित आय होती होगी? क्या इस आय से वह पर्याप्त भोजन की व्यवस्था कर पाता होगा? चर्चा करें।
2. कमला की बीमारी और उसके छोटे से बच्चे के मृत्यु का क्या कारण है?
3. सोमू अपनी उम्र से छोटा क्यों दिखता है?
4. रामू और उसके परिवार को लम्बे समय तक पर्याप्त भोजन क्यों नहीं मिल पाता है? ऐसा क्यों है कि पीढ़ी दर पीढ़ी इस परिवार के लोग कमजोर पैदा होते हैं?

ऊपर दी गई रामू की कहानी सिर्फ उस अकेले की कहानी नहीं है। हमारे देश में कई ऐसे परिवार गांवों, कस्बों, शहरों और आस-पड़ोस में आसानी से दिख जायेंगे। कुछ लोगों की स्थिति तो इनसे भी और दयनीय होती है।

इस तरह के परिवार जिनके सदस्यों को बहुत लम्बे समय तक पर्याप्त व पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता व जो अपने कुपोषण की वजह से उत्पन्न कमजोरी अपने आने वाली संतानों को भी देते हैं, उन्हें 'चिरकालिक भूख' से ग्रस्त कहा जाता है। इसलिए ऐसे परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षित करना अत्यंत आवश्यक है।

कुपोषण

शरीर के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त आहार का लम्बे समय तक न मिल पाना ही 'कुपोषण' कहलाता है। कुपोषित माता-पिता कुपोषित बच्चों को जन्म देते हैं। कुपोषित बच्चे अपनी उम्र से कम दिखते हैं और उनका विकास रुक जाता है।

आयु के अनुसार बच्चों के वजन और लम्बाई में जिस अनुपात से वृद्धि होनी



कुपोषित परिवार

चाहिए, उसमें असंतुलन आ जाता है। साथ ही उनके रोग-प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी आ जाती है। सामान्य बीमारियां जैसे बुखार, उल्टी, दस्त, घेंघा रोग, रतौंधी इत्यादि भी उनकी मृत्यु का कारण बन सकती हैं।

कुपोषण को कैसे पहचानें

- शरीर की वृद्धि का रुकना।
- खून की कमी होना।
- मांसपेशियां ढीली होना या सिकुड़ जाना।
- शरीर का वजन कम होना।
- हाथ-पैर पतले और पेट बड़ा होना या शरीर का सूजन।
- कमज़ोरी महसूस करना।

• महिलाओं में खून की कमी का होना व लम्बे समय से कम भोजन मिलने की वजह से उनका वजन लगातार कम रहता है। (N.F.H.S. Report)

भारत के संविधान में सभी व्यक्तियों को जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। किसी व्यक्ति के लिए भी बिना पर्याप्त भोजन के जी पाना न केवल मुश्किल है बल्कि



कुपोषित परिवार



वज़न नापना

बच्चे को सही आहार दिया जाए तो उसका स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है।



कल्याण 2 साल 3.5 कि. ग्राम अक्टूबर 2005,
ग्राम गारलाग्रिड, गुना, मध्य प्रदेश



कल्याण 2 साल 6 महिने, 10 कि. ग्राम, मार्च 2006

स्रोत्र: डॉ. रमणी, जन स्वास्थ्य सहयोग, विलासपुर, छत्तीसगढ़।

1. किन चीजों की कमी के कारण कुपोषण होता है?
2. कुपोषण के क्या-क्या लक्षण होते हैं?
3. पुरुषों के मुकाबले, महिलाएं अधिकतर कुपोषण से क्यों ग्रसित होती हैं?
4. कुपोषण जैसी समस्या से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शिक्षिका के साथ चर्चा कीजिये।
5. आप अपने पड़ोस के आंगनबाड़ी केन्द्र जाकर निम्न सूचना एकत्र कर एक रिपोर्ट तैयार कीजिये।
 - बच्चों एवं महिलाओं का वजन क्यों लिया जाता है?
 - वहां लोग किस प्रकार का आहार लेते हैं?

निरर्थक है।

आज भी हमारे देश में गरीबी, बेरोजगारी, भूख आदि से उत्पन्न कुपोषण जैसी समस्याओं से काफी लोग ग्रसित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 40 प्रतिशत महिलाओं एवं 30 प्रतिशत पुरुषों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुपोषण के लक्षण पाये जाते हैं।

रोजगार की तलाश

आज भी समाज में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता। ग्रामीण क्षेत्रों में कई कृषक मजदूर, बन्धुआ मजदूर, भूमिहीन मजदूर व ऐसे मजदूर हैं जो ज़मीन के छोट-छोटे टुकड़ों पर ही निर्भर हैं। पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग व छोटे व्यवसायी भी इस वर्ग में शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ग्रामीण लोग ही इस बीमारी के शिकार हैं। शहरों में भी ऐसे लोग हैं जिन्हें भरपेट भोजन नहीं मिल पाता। शहरी क्षेत्रों में इस वर्ग में ऐसे लोग शामिल हैं जो प्रायः कम वेतन वाले व्यवसायों और अनियमित श्रम-बाज़ार में काम करते हैं। इन्हें केवल मौसमी कार्यों में ही काम उपलब्ध हो पाता है। इन्हें दैनिक मजदूरी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ये वर्ग रोजगार की दृष्टि से हमेशा असुरक्षित होता है। क्योंकि इनकी आय या मजदूरी इतनी कम होती है कि वे मात्र जीवन-निर्वाह ही मुश्किल से कर पाते हैं।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों का भूमि का आधार कमज़ोर होता है या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता कम होती है। वे खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित हैं।

गरीब लोगों की आय बहुत कम होती है जिससे वे सिर्फ जीवित ही रह सकते हैं। आय में वृद्धि के लिए काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। फिर भी उनको रोज़गार का समुचित अवसर नहीं मिल पाता। इसीलिए सरकार अपने सामाजिक दायित्व के तहत गरीब लोगों को रोज़गार मुहैया कराने के लिए रोज़गार योजनाएं चला रही है। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाये जा रहे **महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना** काफी महत्वपूर्ण है। इसके पूर्व इसे



1. अपनी शिक्षिका व अपने घर के बड़े-बूढ़ों से जानकारी इकट्ठा करके अपने आसपास की ऐसी योजनाओं के बारे में पता लगाइये जिससे लोगों को रोज़गार व आय की प्राप्ति हो रही है।
2. बेरोज़गारी और कुपोषण का क्या सम्बंध है? आपस में चर्चा कीजिये।
3. लोगों को रोज़गार दिलाने का दायित्व सरकार का क्यों होना चाहिए? अपने संविधान में दिए गए अधिकारों/प्रावधानों को



नरेगा के नाम से जाना जाता था। इसके तहत सरकार कार्य के इच्छुक लोगों को उनकी पंचायत क्षेत्र सीमा के आस-पास एक वर्ष में 100 दिनों का रोज़गार उपलब्ध कराने की गारंटी देती है। इस योजना में ग्रामीण बेरोज़गार अपने निकट स्थान पर काम की मांग कर सकते हैं इस तरह की सरकारी योजनाएँ ग्रामीण निर्धनता को कम करने का प्रयत्न कर रही हैं।

खाद्य सुरक्षा के आयाम

1. देश में प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न उत्पादन और सरकारी अनाज भंडारों में खाद्यान्न का पर्याप्त स्टॉक।

2. प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उचित मूल्य का खाद्यान्न उपलब्ध।

3. लोगों के पास अपनी भोजन सम्बंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन उपलब्ध।



भारतीय खाद्य निगम का गोदाम

भंडारण

भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी. आई.) के माध्यम से सरकार द्वारा लोगों को अनाज, गेहूं और चावल दिये जाते हैं। भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्न उत्पादन वाले राज्यों के किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से ही घोषित कीमतें दी जाती हैं। इस मूल्य को **न्यूनतम समर्थन मूल्य** (एम एस पी) कहा

1. क्या आपके घरों में भी अनाज का भंडारण किया जाता है? अगर हां, तो इसका क्या उद्देश्य है?
2. क्या आपके घरों में भी बाज़ार से कम मूल्य पर अनाज आता है? यदि हां तो यह कैसे?
3. सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है?

जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले ही सरकार प्रत्येक वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। इसे **बफर स्टॉक** कहते हैं। भारतीय खाद्य निगम के इस बफर स्टॉक को सरकार राशन की दुकानों के माध्यम से समाज में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं।

1. क्या आपने कभी इस तरह की परिस्थिति देखी है?
2. आपके विचार में क्या दुकानदार सच बोल रहा है?
3. क्या आपके परिवार के पास राशन कार्ड है?
4. इस राशन कार्ड से आपके परिवार ने हाल में कौन-कौन सी चीज़ खरीदी है?
5. क्या आपके परिवार को राशन की चीज़ें लेने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है? उनसे पता लगायें।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति

राशन की दुकान पर सुबह-सुबह लोगों की खूब भीड़ लगी थी। मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा था। लोग दुकानदार को ताने दे रहे थे। ब्लैक में बेचता होगा। और दुकानदार कहता, “मैं कहां से लाऊँ? मेरे घर पर तेल का कुआं है क्या? सरकार कोटा पूरा नहीं कर रही है और गाली मुझे सुननी पड़ रही है।”

अब अधिकांश क्षेत्रों, गांवों-कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं। बिहार में माह दिसम्बर 2010 में कुल 42,471 राशन की दुकानें (जन वितरण प्रणाली की दुकानें) कार्यरत थीं। इन दुकानों में सरकार के द्वारा खाद्यान्न के अलावा मिट्टी का तेल भी कम दाम पर बेचा जाता है। इसके तहत राशन कूपन और केरोसिन तेल कूपन से कोई भी परिवार प्रतिमाह इनकी एक निश्चित मात्रा निकटवर्ती राशन की दुकान से खरीद सकता है। सरकार की ओर से बी.पी.एल. परिवारों के लिए अनुदानित दर पर 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह की दर से खाद्यान्न का मासिक आवंटन प्राप्त होता है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत 5.22 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम गेहूं एवं 6.78 रुपये प्रति किलो की दर से 15 किलोग्राम चावल प्रति परिवार प्रति माह उपलब्ध कराया जाता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक

महत्वपूर्ण कदम है। प्रारंभ में यह प्रणाली सबके लिए थी। निर्धनों और गैर-निर्धनों के बीच कोई भेद नहीं किया जाता था। लेकिन अब इसमें निर्धनों और गैर-निर्धनों के लिए वस्तुओं का अलग-अलग मूल्य रखा जाता है।

इस प्रणाली ने देश के अनाज की अधिक पैदावार वाले क्षेत्रों से



अपने इलाके की राशन की दुकान पर जाएं और जानकारी प्राप्त करें

1. राशन की दुकान कब खुलती है?
2. वहां पर कौन-कौन सी चीजें बेची जाती हैं?
3. वहां किस-किस तरह के कार्डधारी आते हैं?
4. वहां राशन कहां से आता है?
5. क्या इन दुकानों में सभी कार्डधारियों के लिए एक समान मूल्य होता है?
6. क्या राशन की दुकान और खुले बाजार की सामग्रियों की गुणाक्ता एवं मूल्य में अंतर होता है? पता लगाइये।
7. लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ए.पी.एल., बी.पी.एल., अन्त्योदय, वृद्ध लोगों के लिए अन्नपूर्णा योजना संचालित की जाती है। अपनी शिक्षिका से इस विषय पर जानकारी एकत्रित कीजिये।
8. निर्धन और गैर निर्धन के लिए चीजों का अलग-अलग मूल्य रखने में क्या कोई व्यवहारिक कठिनाई हो सकती है? कारण सहित

1. क्या आपको लगता है कि सरकार का गरीबों का स्वास्थ्य सुरक्षित कराने का यह तरीका

सही है? कारण सहित समझाइये।

2. क्या ऐसा भी किया जा सकता है कि कम दामों पर खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक रूप से

सभी लोगों को उपलब्ध करायी जाये? इसके लाभ तथा नुकसान पर अपनी शिक्षिका के

साथ चर्चा कीजिये।

मध्याह्न भोजन योजना- यह सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। जिसके तहत बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए विद्यालय में पौष्टिक भोजन उपलब्ध

कम पैदावार वाले क्षेत्रों में खाद्य पूर्ति के माध्यम से अकाल और भूखमरी की व्यापकता को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। इसके अतिरिक्त आमतौर पर इससे निर्धन परिवारों के पक्ष में कीमतों पर रोक भी लगायी जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अनेक आधारों पर कड़ी आलोचना का सामना भी करना पड़ता है।

गरीबी रेखा – भारत सरकार उन लोगों को गरीबी रेखा से नीचे मानती है, जो उसके द्वारा निर्धारित न्यूनतम आर्थिक स्तर के नीचे हों। ये लोग सरकारी मदद, जैसे कम दाम पर खाद्य प्राप्त करने के हकदार होते हैं। अलग-अलग राज्य इसे तय करने के अलग-अलग तरीके अपनाता है। यह रेखा ग्राम और शहर निवासियों के लिए भी

Developed by:  www.absol.in

अभ्यास के प्रश्न

1. ऐसे कौन से लोग हैं जो खाद्य सुरक्षा से सर्वाधिक लाभान्वित हो सकते हैं?
2. राशन की दुकान होना क्यों जरूरी है? समझाइये।
3. लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा खाद्य उपलब्ध कराने के अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा के लिए और क्या-क्या उपाय किये जा सकते हैं? शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए।
4. खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? यह सभी लोगों के लिए क्यों जरूरी है?
5. कुपोषण क्या है? कुपोषण से लोगों पर किस-किस तरह के असर पड़ते हैं?
6. आपके क्षेत्र में सरकार द्वारा लोगों को रोजगार देने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? आपके विचार में इनमें से किस योजना का लाभ लोगों को सबसे अधिक हो रहा है और क्यों?
7. भारत में अनाज की मात्रा पर्याप्त होने के बावजूद भी कई लोगों को भरपेट भोजन क्यों नहीं मिल पाता? अपने शब्दों में समझाइये।
8. सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? एक उदाहरण देकर समझाइये।
9. भारत में अपनाई जाने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किस प्रकार की



तंबाकू सेवन करने वाले व्यक्ति तंबाकू सेवन नहीं करने वाले व्यक्तियों से 10 वर्ष अधिक बड़े होने का अनुभव करते हैं और उनसे 10 वर्ष पहले मरते हैं।